WWF

IUCN
The World Conservation Union

The TRAFFIC Network is the world's largest wildlife trade monitoring programme with offices covering most parts of the world. TRAFFIC (Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce) is a joint programme of WWF (World Wide Fund for Nature) and IUCN (The World Conservation Union) to monitor trade in wild plants and animals. It works in close co-operation with the Secretariat of the Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES).

TRAFFIC - India is a programme division of World Wide Fund for Nature - India and forms part of the Worldwide TRAFFIC Network.

For further information contact:

Director
TRAFFIC-India
WWF-India Secretariat
172-B, Lodi Estate
New Delhi - 110 003

Telephone:
91-11-4698578, 4616532

Fax:
91 - 11 - 4691226

E-mail:
trfindia@del3.vsnl.net.in
Web : www.traffic.org

Produced by macro graphics.comm pvt. ltd.

CITES LISTED MEDICINAL PLANTS OF INDIA

AN IDENTIFICATION MANUAL

पहिचान पुस्तिका

Ritwick Dutta
Pushp Jain

WWF

Published with the kind support of

TRAFFIC
INDIA

The World Wide Fund for Nature - India (WWF-India) has been working to promote harmony between humankind and nature for three decades. Today, it is recognized as a premier conservation NGO in the country dealing with conservation and development issues.

At a time when the Web of Life has come under increasing threats, WWF-India's efforts have been to find and implement solutions for the benefit of present and future generations.

Formerly known as the World Wildlife Fund, WWF-India was established as a Charitable Trust in 1969. With its network of State/Divisional and Field Offices spread across the country, WWF-India is the largest and one of the most experienced conservation organisation in the country. WWF-India's Secretariat functions from New Delhi. The organisation is part of the WWF family with 27 independent National Organisations. The coordinating body, the WWF International, is located at Gland in Switzerland.

The research and publication of this document was funded by *Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit* (BMZ) through a fund in trust agreement with WWF International.

First Published in October, 2000.
by TRAFFIC-India/WWF-India

© WWF-India. Reproduction in any form of the material in this publication whether in full or part may be done strictly with written permission of the publisher.

Suggested Citation: Dutta, Ritwick; Jain, Pushp; 2000. *CITES Listed Medicinal Plants of India - An Identification Manual*. TRAFFIC-India/WWF-India, New Delhi, India

Hindi Translation : Sumant Bhattacharya
Illustrations: Ritwick Dutta
Photographs: Pushp Jain, Dr Krishna Kumar
Design and Layout: Rahul Dutta

CITES Listed Medicinal Plants of India
भारत में साइटिस के तहत सूचीबद्ध औषधीय पौधे

An Identification Manual
पहिचान पुस्तिका

Ritwick Dutta
Pushp Jain

Published with the kind support of

TRAFFIC
INDIA

WWF
World Wide Fund for Nature-India

Preface

CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, came into force in 1975. It has been established as an inter governmental agreement to regulate international trade in wild fauna and flora with an intention to ensure that such trade does not pose a threat to the species survival in the wild.

The effectiveness of the Convention lies in proper implementation of its provisions by the Parties to the Convention. The proper implementation in turn is dependent on the existence of implementation machinery, legislative support as well as availability of adequate reference/identification material to aid the implementation process.

This manual has been compiled to assist the enforcement staff in implementing the provision of CITES, which in India is enforced through the Export and Import (EXIM) Policy of the government under the legal umbrella of the Customs Act, 1962.

Since this manual has been prepared specially keeping in mind the requirement of the enforcement staff, the first step in its preparation involved interaction with the members of the enforcement agencies namely the Customs and the Wildlife Preservation departments. An attempt was made to understand the problems that they often face in enforcing the CITES provisions and to address the same in the manual.

Besides the enforcement staff, few traders who dealt in medicinal plants were also contacted, in order to understand their point of view in the matter. The traders' main grievance was that the legal and the procedural requirements with regard to the trade in medicinal plants were unclear.

It was with a view to address above mentioned problems that a chapter on the essential documents to check for CITES listed medicinal plants with regard to their export, import and re-export has been included. Further, information on the "form in which international trade in medicinal plants is permitted", has also been included.

A major problem often faced by the enforcement staff is the lack of identification material to identify the medicinal plants and its derivatives in the trade.

Accordingly, each species in the manual has been dealt in detail regarding its botanical, common, vernacular and trade name. As for the distribution of a species, general distribution in India only is given. An effort has been made to provide illustration of the medicinal plant together with the photograph of the raw drug form it is traded in (except in respect of those species where the raw drug form is unrecognizable e.g., *Aloe* spp. which is mostly traded as an extract). Although an effort has been made to provide as detailed and 'easy to understand' guidance on how to identify the species, it is advisable to refer to scientific authorities when in doubt. For this purpose addresses have also been provided of the scientific authorities for CITES implementation in the country.

During the course of the preparation of this manual, it was noticed that :

- The regulatory requirements of government of India for export of medicinal plants are much more detailed in comparison to the import controls.
- Unlike the Negative List of Export for plants prohibiting export of specified plants collected from the wild and in raw form and includes all CITES listed plants from India except *Aloe* spp., there is no corresponding negative list of import of plants into the country.
- Although, the export is allowed only through specified ports, the import of medicinal plants and their derivatives does not seem specifically subject to any such requirement.
- Public Institutional infrastructure in India for scientific identification and testing of the medicinal plants including crude herbal drugs and their derivatives, extracts and formulations calls for strengthening.

It is hoped that this manual will help address some of the problems faced by the enforcement agencies in the proper implementation of the provisions of CITES, besides drawing attention to the shortcomings in the present framework of legislation, with regard to the conservation of the medicinal plants in the country.

During the course of research and preparation of the Manual we received advise, guidance and help from several quarters. We are heartily thankful to Mr. Manoj Misra, Director, TRAFFIC India, for his regular advise and reviews of the manual. We are also thankful to Ms. Teresa Mulliken, TRAFFIC International, Cambridge, UK for reviewing the manual and making useful suggestions. We are further thankful to Dr. M. V. Vishwanathan and Dr P. M. Bhagwat, scientists, National Institute of Science Communication for their cooperation. We also thank Dr Krishna Kumar, WWF-India for his suggestions. Our thanks are also due to Ms Arti Singh, Inspector at the Regional Deputy Director (Wildlife Preservation), Northern zone office at New Delhi, for her help. We appreciate with thanks the cooperation and help we received from the TRAFFIC India officials and staff including Dinesh Sharma, Rahul Dutta, Fahmeeda Hanfee, Rajat Bhargava, Sudha Mohan, Manorama Goswami and Suresh Nayal.

प्राक्कथन

वन्यजीवों और वनस्पतियों की सकंटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियंत्रण हेतु साइटिस का गठन 1 जुलाई 1975 को किया गया। साइटिस, विभिन्न देशों के बीच हुआ एक ऐसा समझौता है जो वन्यजीवों और वनस्पतियों एवं पादपों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियन्त्रित करता है ताकि इनके अस्तित्व को कोई खतरा न हो।

इस अंतरराष्ट्रीय समझौते के प्रावधानों का असरकारक होना, इसको लागू करने वाले पक्षों पर निर्भर करता है। जिसको असरदार ढंग से लागू करने के लिये, सरकारी मशीनरी, कानूनी सहायता तथा पर्याप्त सन्दर्भ एवं पहचान सामग्री की उपलब्धी आवश्यक है।

प्रस्तुत दस्तावेज, साइटिस धाराओं को लागू करने में आने वाली कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिये तैयार किया गया है। भारतवर्ष में साइटिस, एक्जिम पालिसी के अधीन लागू किया जाता है जो कि सरकार की वैधानिक परिधि के अन्तर्गत् कस्टमस एक्ट 1962 द्वारा क्रियान्वित होता है। क्योंकि यह दस्तावेज, खासकर लागू करने वाले कर्मचारियों के लिये बनाया गया है, अतः इसको बनाने के लिये सर्वप्रथम लागू करने वाले, सीमा शुल्क तथा वन्यजीव संरक्षण विभाग के कर्मचारियों से सम्पर्क किया गया। उनकी समस्याओं को समझने तथा उनको सुलझाने का प्रयास इस दस्तावेज में किया गया है।

उपरोक्त कर्मचारियों के अलावा कुछ व्यापारी, जो औषधीय पादपों के व्यापार से सम्बन्ध रखते हैं, से भी सर्म्पक किया गया, ताकि उनके विचार भी जाने जा सकें। व्यापारियों का मानना है कि निर्यात–आयात नियन्त्रण प्रणाली अस्पष्ट है।

उपरोक्त कर्मचारियों की राय को देखते हुये एक अध्याय, साइटिस में वर्णित औषधीय पौधों के आवश्यक दस्तावेजों को परखने, जिसमें उनका आयात, निर्यात तथा पुर्ननिर्यात सम्मिलित है, का रखा गया है। इसके अलावा जिस आकार/प्रकार में औषधीय पौधों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार मान्य है, उस बारे में भी जानकारी दी गयी है।

लागू करने वाली संस्थाओं की सामान्यतया समस्या यह रहती है कि उनके पास कोई ऐसी प्रामाणिक जड़ी–बुटी तथा औषध द्रव्य के साम्पल या पहिचान–दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे वे औषधीय पादपों तथा उनके उत्पादों की जांच कर पायें। प्रस्तुत दस्तावेज में वर्णित की गयी प्रजाति का विस्त त विवरण जैसे वानस्पतिक नाम, प्रचलित नाम, क्षेत्रीय नाम तथा व्यापारिक नाम दिया गया है। भारत वर्ष में उनके प्राक तिक वितरण स्थल के बारे में भी जानकारी दी गयी है। औषधीय पौधों का रेखाचित्र तथा पदार्थ का छायाचित्र जो कि व्यापार में प्रचलित है, को दस्तावेज में दिखाने का प्रयास किया गया है (केवल उनको छोड़कर जिनमें कच्चा पदार्थ पहचानना मुश्किल है, जैसे ऐलो प्रजाति, जिसका कि सत्वरूप में व्यापार किया जाता है)। हालाकि पहचानने के लिये विस्त त तथा सरल रूप में जानकारी दी गयी है लेकिन कोई भी शंका होने पर वैज्ञानिक संस्थाओं से सहायता ले लेनी चाहिये। इस कार्य के लिये साइटिस लागू करने वाली संस्थाओं के पते भी इस दस्तावेज में दिये गये हैं।

इस कार्य के दौरान ये देखा गया कि :–

- आयात के मुकाबले औषधीय पौधों के निर्यात के लिये नियमावली ज्यादा विस्त त है।
- निर्यात के लिये निषेध पादपों की तो नेगेटिव सूची उपलब्ध है लेकिन आयात के लिये ऐसी कोई सूची नहीं है।
- निर्यात के लिये देश में बदंरगाह निर्धारित किये गये है जबकि आयात के लिये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
- राष्ट्रीय संस्थाओं की आधारभूत सुविधाओं को वैज्ञानिक पहचान, औषधीय पौधों तथा उनके उत्पादों की पहचान तथा सत्व एवं औषध योग की पहचानने के लिये, मजबूत करने की आवश्यकता है।

इस कार्य के दौरान निरन्तर दिशा निर्देशन के लिये श्री मनोज मिश्रा, निदेशक, ट्रेफिक इंडिया का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते है। डा. एम. वी. विश्वनाथन और डा. पी. एम. भगत, वैज्ञानिक, निसकाम, दिल्ली को उनके निरन्तर सहयोग के लिये हम धन्यवाद देते है। श्रीमती आरती सिंह, निरीक्षक, (वन्यजीव सरंक्षण) को भी हम उनके सहयोग के लिये धन्यवाद देते है। दस्तावेज को संशोधित करने तथा सुझाव देने के लिये हम सुश्री टेरेसा मुलिकन, ट्रेफिक–इन्टरनेशनल, केम्ब्रिज, इग्लैण्ड का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। डा. क ष्ण कुमार, डब्लू. डब्लू. एफ. इंडिया, के सुझावों के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। ट्रेफिक–इंडिया के दिनेश शर्मा, राहुल दत्ता, फेहमिदा हन्फी, रजत भार्गव, सुधा मोहन, मनोरमा गोस्वामी तथा सुरेश नयाल को हम उनके सराहनीय सहयोग के लिये धन्यवाद देते है।

CONTENTS

	Preface प्राक्कथन	
I	**Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora**	1
	वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर समझौता	3
II	**Implementation of CITES in India**	5
	भारत में साइटिस का क्रियान्वयन	8
III	**CITES listed Flora of India**	11
	साइटिस सूची में भारत की वनस्पतियां	14
IV	**Export and Import Policy**	17
	निर्यात–आयात नीति	20
V	**Essential Documents to Check for International Trade in CITES Listed Medicinal Plants of India**	22
	साइटिस में सूचीबद्ध भारतीय औषधीय पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबधित जरूरी दस्तावेज	25
VI	**Identification of CITES Listed Medicinal Plants of India**	29
	साइटिस में सूचीबद्ध भारत के औषधीय पौधों को पहिचानना	29
	1. ***Aloe***	31
	ऐलो	33
	2. ***Aquilaria malaccensis***	35
	एक्यूलैरिया मैलाकैंसिस	37
	3. ***Dicksoniaceae***	39
	डिकसोनिऐसी	41
	4. ***Dioscorea deltoidea***	43
	डायोसकोरिया डेलटॉइडिया	45

5.	*Euphorbia*	47
	यूफोरबिया	49
6.	*Nardostachys grandiflora*	51
	नार्डोस्टाचिस ग्रेंडीफ्लोरा	53
7.	*Picrorhiza kurrooa*	55
	पिक्रोराईजा कुरुवा	57
8.	*Podophyllum hexandrum*	59
	पोडोफिल्लम हैक्सॉड्रम	61
9.	*Pterocarpus santalinus*	63
	टैरोकार्पस सेंटालिनस	65
10.	*Rauvolfia serpentina*	67
	रॉवुल्फिया सरपेंटाइना	69
11.	*Saussurea costus*	71
	सॉसुरिया कॉस्ट्स	73
12.	*Taxus wallichiana*	75
	टैक्सस वालीचियाना	77
Sample Copy of CITES Export Permit		79
Sample Copy of CITES Exemption Certificate		80
Important Addresses		81
महत्त्वपूर्ण पते		83
References		85

1. CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

INTRODUCTION

The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), is an international inter governmental convention which came into force on July 1,1975. India joined CITES about one year later and became the 25th Party to the Convention with effect from 18 October 1976. Today 155 countries are Parties to the Convention, making it one of the largest wildlife conservation agreements. These countries act by regulating commercial international trade in an agreed list of endangered species, and by monitoring trade in others that might become endangered. It seeks to ensure that international trade does not pose a threat to the survival of the species in the wild.

It operates by means of a permit system. The Convention regulates the international trade in specimens of the species included in any of the Appendices of the Convention. It lays down conditions that must be satisfied before a permit is granted. Each Party is required to establish one or more Management and Scientific Authorities, which between them are responsible for ensuring that the stipulated conditions have been met, before a permit for international trade, is granted.

APPENDICES OF CITES

The Convention obligates Parties to institute specific controls on species listed in its Appendices. Appendices I, II and III of the Convention list species in decreasing order of threat, respectively.

Appendix I It lists species "threatened with extinction, which are or may be affected by trade".

Appendix II It lists species "which although not necessarily now threatened with extinction, but may become so unless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilisation incompatible with their survival".

Appendix III It includes all species which any Party identifies as being subject to regulation within its jurisdiction for the purpose of preventing or restricting exploitation and as needing the cooperation of other Parties in the control of trade.

TRADE IN SPECIMENS OF THE SPECIES LISTED IN CITES APPENDICES*

Appendix I International commercial trade

* For details see the entire text of the Convention.

in wild specimens is not permitted. Non-commercial trade rarely possible, in which case an Export Permit and an Import Permit are required. An Export Permit may only be granted if an Import Permit has been granted by the country of Import. These provisions apply only to wild specimens. Plants in Appendix I which have been artificially propagated (cultivated) are treated as if they are in Appendix II

Appendix II International commercial trade is permitted under certain conditions. The export of specimens of such species require an Export Permit, which may only be issued if the export will not be detrimental to the survival of the species. The import of specimens of such species is subject to the presentation of Export Permit of the exporting country.

Appendix III Trade is permitted under certain conditions. The export of specimens of a species from the country that has listed it requires an Export Permit. The Import of such specimens from any other country requires the presentation of a Certificate of Origin, as a proof that it does not originate from the country that has listed it.

Artificially propagated plants specimens belonging to species listed in Appendices II and III do not require Export Permit, instead, what the Convention requires is that the Country of export must issue a certificate, stating that it has been satisfied that the specimens have been artificially propagated.

Trade in specimens of species listed in Appendix I is most restrictive while for those in the Appendix III is least restrictive. There is an attempt to match the restrictions on the trade to the degree of danger a species faces. The aim is to ensure that the international trade in wild animals and plants and their parts and products is not detrimental to the survival of the species. There are specified sets of conditions to be met with, for legal trade to take place. The trade can be by way of export, re-export, import or introduction from sea of live or dead animals and plants and of parts and derivatives there of. The Convention also allows Parties to adopt, if they so wish, stricter measures for the export and import of listed species, as India has done specifically in case of export of medicinal plants from the country.

I. वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर समझौता

परिचय

साइटिस, वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच समझौता है जो 1 जुलाई, 1975 से लागू हुआ। करीब एक साल बाद, 18 अक्तूबर 1976 को भारत साइटिस में शामिल हुआ और समझौते में शामिल होने वाला 25वां सदस्य बना। इस वक्त 155 देश साइटिस के सदस्य हैं और वन्यजीव संरक्षण पर यह सबसे बड़े समझौतों में से है। इस समझौते में शामिल देश खतरे में पड़ी प्रजातियों की एक मान्य सूची में व्यावसायिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण करते हैं, साथ ही ऐसी प्रजातियों के व्यापार पर नजर रखते हैं जिनके अस्तित्व पर व्यापार से खतरा हो सकता है।

यह समझौता परमिट प्रणाली के जरिए काम करता है। समझौते के किसी भी परिशिष्ट (ऐपेन्डीस) में शामिल प्रजाति के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर इस समझौते का पूरा नियंत्रण है। परमिट प्राप्त करने से पहले समझौते में दी गई शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। प्रत्येक पक्ष को एक या अधिक **प्रबंधन और वैज्ञानिक प्राधिकार** को स्थापित करना आवश्यक है, जिन पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के समय साइटिस की शर्तों को पूरा किया गया है। ताकि संबंधित पक्ष को परमिट जारी किया जा सके।

साइटिस के परिशिष्ट

परिशिष्टों में शामिल प्रजातियों पर निश्चित नियंत्रण रखना सदस्य देशों के लिए अनिवार्य है। समझौते के परिशिष्ट I, II और III में क्रमशः में सबसे ज्यादा से निरंतर कम संकटापन्न प्रजातियों की सूची है।

परिशिष्ट I में शामिल प्रजातियां 'लुप्तप्राय' हैं, जिन्हें व्यापार से और भी खतरा हो सकता है।

परिशिष्ट II में वे प्रजातियां शामिल हैं जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है, पर ऐसी आशंका है कि अगर इन प्रजातियों के व्यापार पर कड़ा नियंत्रण न रखा गया तो यह भी उस श्रेणी में सम्मिलित हो सकती हैं।

परिशिष्ट III में शामिल वे सभी प्रजातियां हैं, जिसकी किसी एक पक्ष ने नियंत्रण के लिए शिनाख्त कर रखी है, ताकि इनके इस्तेमाल को रोका या नियंत्रित किया जा सके। इस परिशिष्ट में वे प्रजातियां हैं जिनके व्यापार को नियंत्रित करने में दूसरे पक्षों का सहयोग अपेक्षित है।

साइटिस परिशिष्टों में सूचित प्रजातियों के नमूनों का व्यापार*

परिशिष्ट I वन्य प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार प्रतिबंधित है। गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यदाकदा होने वाले व्यापार के लिए आयात और निर्यात परमिट की आवश्यकता होती है। निर्यात परमिट तभी दिया जाता है यदि आयात करने वाले देश ने आयात परमिट जारी किया हो। परिशिष्ट I में शामिल जिन प्रजातियों को कृत्रिम रूप से विकसित किया जाता है, उन्हें परिशिष्ट II में शामिल माना जाता है।

परिशिष्ट II विशेष शर्तों के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार की अनुमति है। इन प्रजातियों के निर्यात के लिए निर्यात परमिट की आवश्यकता होती है, जो तभी जारी किया जाता है जब देश के वैज्ञानिक प्राधिकार यह सुनिश्चित कर लें कि इस निर्यात से प्रजातियों के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं होगा। इन प्रजातियों के आयात के लिए निर्यातक देश का निर्यात परमिट प्रस्तुत करना जरूरी है।

*अधिक जानकारी के लिए साइटिस सम्मेलन के दस्तावेजों को देखें

परिशिष्ट III विशेष शर्तों के तहत व्यापार की अनुमति है। किसी देश की सूची में शामिल प्रजातियों के निर्यात के लिए निर्यात परमिट की आवश्यकता होती है। किसी दूसरे देश से ऐसी प्रजाति के आयात के लिए उद्‌भव प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है, जो इस बात की पुष्टि करे कि संबंधित प्रजाति का मूल वह देश नहीं है जिसने उसे सूची में शामिल किया है।

परिशिष्ट II और III में शामिल प्रजातियों की कृत्रिम रूप से विकसित वनस्पतियों के लिए निर्यात परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। समझौते के तहत इनके व्यापार के लिए निर्यातक देश एक प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जो प्रजाति विशेष के कृत्रिम रूप से विकसित किए जाने की पुष्टि करे।

परिशिष्ट I में शामिल प्रजातियों के व्यापार पर सबसे अधिक प्रतिबंध है। समझौते में जोर इस बात पर दिया गया है कि जिस प्रजाति के अस्तित्व पर खतरा जितना अधिक है उसके व्यापार पर उतना ही कड़ा प्रतिबंध लागू किया जाए। इसका उद्देश्य साफ है, वन्यजीवों और वनस्पतियों के उत्पादों और हिस्सों के व्यापार की वजह से मंडराते खतरे से उनके अस्तित्व को संरक्षित रखा जाए। हर प्रजाति के वैध व्यापार के लिए कुछ विशिष्ट शर्तें हैं। निर्यात, पुनर्नियात, आयात, समुद्र के जरिए देश में दाखिल जीवित या मृत प्राणियों और पौधों से संबंधित उनके हिस्सों या उनसे बनने वाले उत्पादों, की शक्ल में यह व्यापार हो सकता है। सम्मेलन, पक्षों को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि यदि ये चाहें तो सूचित प्रजातियों के निर्यात और आयात के लिए अधिक कड़े कदम उठा सकते हैं, जैसा भारत ने आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत निर्यात के लिए किया हुआ है।

II. IMPLEMENTATION OF CITES IN INDIA

LEGAL FRAMEWORK

The legislative basis for the implementation of CITES lies in the following Acts and Policies.

- The Wildlife (Protection) Act,1972
- Export and Import Policy, Ministry of Commerce, Government of India.
- The Customs Act, 1962

The Wildlife (Protection) Act, 1972

The Wildlife (Protection) Act, 1972, was amended in 1986, whereby Chapter VA was inserted into the Act. This chapter puts a complete ban on the trade or commerce in trophies, animal articles etc. derived from scheduled species. An amendment of the Act in 1991, enlarged the definition of "wildlife"[section 2(36)], to include not only animals, bees, butterflies, crustacea, fish and moths but also aquatic and land vegetation that forms part of the habitat. The title of the Act was also amended from *"an Act to provide for the protection of wild animals and birds"* to *"an Act to provide for the protection of wild animals, birds and plants"*. As a result of the amendment of 1991, chapter IIIA was added for the protection of specified plants i.e those species listed under Schedule VI of the Act. Schedule VI of the Act lists all the six plants of Indian origin presently included in Appendix I of CITES. The Act prohibits any person from cultivating or dealing in any specified plants except under a licence granted by the Chief Wildlife Warden of the concerned State.

The Export-Import Policy

The Export-Import Policy is brought out under the provision of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, and it regulates the export and import of all goods including wildlife. The Export-Import Policy, relating to wild fauna and flora is decided in consultation with the Management Authority of CITES in India and enforced through the Customs Act, 1962. The Policy which is brought out periodically, specifically lays down the conditions under which export and import of flora and fauna shall take place.

The Customs Act, 1962

Violation of The Export -Import policy in general and CITES in particular, constitutes an offence under the Customs Act, 1962. Section 3(2) of the Export and Import (Control) Act, 1947, states that all items (including wild fauna and flora) covered in the Export and Import policy will be deemed to be covered under Section 11 of the Customs Act, 1962. Thus when CITES is being violated the role of the Customs Department comes into play mainly at the exit/entry points of the country.

ENFORCEMENT

The enforcement of the provisions relating to CITES is being carried out by the Custom officials and the Regional Deputy Directors, Wildlife Preservation, through the Customs Act, 1962, at the point of Export/Import and the State Wildlife Departments headed by the Chief Wildlife

Wardens under the Wildlife (Protection) Act, 1972, elsewhere.

All export of wild fauna and flora are permitted only through the customs points at Mumbai, Calcutta, Delhi, Chennai, Cochin, Amritsar and Tuticorin. The two essential conditions governing the export and import of wildlife and its derivatives are:

1. Compliance with the requirement of CITES.
2. Inspection of the consignments by the Regional Deputy Director of Wildlife Preservation at the Customs points.

The Chief Wildlife Wardens also issues licences to the dealers and manufacturers of wildlife items. They also issue Legal Procurement Certificate (LPC) to the exporters of wild fauna and flora to establish the legality of the consignment in question. With regard to cultivated specimens of CITES listed species, a Certificate of Cultivation is issued by the Regional Deputy Director (Wildlife), or the Chief Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer of the area from which the specimens have originated. The Certificate is issued only if the above authorities are satisfied that the specimens have been cultivated. The Directorate of Revenue Intelligence (DRI), the Central Bureau of Investigation (CBI), the Police, the Forest Departments of respective states also provide assistance in controlling illegal trade in wildlife.

CITES AUTHORITIES

CITES obligates its Parties to establish specific national authorities to administer the provisions of the Convention. It aims at establishing a global network of institutions that can co-operate directly among themselves, unfettered by the constraints of the normal diplomatic channels.

Under Art IX (1) of the Convention, each Party is obliged to designate one or more management authorities who are empowered to issue permits and certificates, and national level scientific authorities which monitors the CITES operation in that country. India has notified the following Management Authorities and Scientific Authorities.

MANAGEMENT AUTHORITIES

1. Inspector General of Forests, Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi
2. Director of Wildlife Preservation, Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi.

ASSISTANT MANAGEMENT AUTHORITIES

1. Deputy Director, Wildlife Preservation (Northern Region), New Delhi
   Jurisdiction : All wildlife items originating from the States/Union Territories of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Chandigarh, Delhi, Himachal Pradesh and Rajasthan.

2. Deputy Director, Wildlife Preservation (Southern Region), Chennai
   Jurisdiction : All wildlife items originating from the States/Union Territories of Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Pondicherry, Lakshadeep and Andaman and Nicobar Islands.
3. Deputy Director, Wildlife Preservation (Eastern Region), Calcutta

   Jurisdiction : All wildlife items originating from the States/Union Territories of West Bengal, Bihar, Sikkim, Assam, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Manipur, Mizoram and Orissa.
4. Deputy Director, Wildlife Preservation (Western Region), Mumbai

   Jurisdiction : All wildlife items originating from the States/Union Territories of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Dadra and Nagar Haveli
5. Joint Director, Project Tiger, New Delhi
   Jurisdiction : Not specified

Besides the above regional authorities, sub-regional authorities have been set up in Amritsar (Punjab), Guwahati (Assam) and Cochin (Kerala)

The Regional Deputy Directors of Wildlife Preservation are assisted by Assistant Directors, Inspectors and Technical Assistants, who also have the amalgamated function of enforcement under the Wildlife (Protection) Act, 1972, in their respective region.

Further in order to exercise greater vigilance at Customs points, Wildlife Inspectors have been stationed at Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai, Cochin, Amritsar and Tuticorin.

SCIENTIFIC AUTHORITIES

1. Director, Zoological Survey of India, Calcutta (West Bengal)
2. Director, Botanical Survey of India, Calcutta (West Bengal)
3. Director, Central Marine Fisheries Research Institute, Cochin (Kerala)
4. Director, Wildlife Institute of India, Dehradun (Uttar Pradesh)

The main functions of the Scientific Authorities are to aid and advise the Management Authority on granting of Permits/Certificates, give advice on the status of species and monitor international trade in Appendix II species.

II. भारत में साइटिस का क्रियान्वयन

कानूनी ढांचा

साइटिस के क्रियान्ववन के विधायी आधार निम्न नीतियां और कानून हैं,

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- निर्यात व आयात नीति, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, का सन 1986 में संशोधन कर इस कानून में अध्याय VA जोड़ा गया। इस अध्याय में अधिसूचित प्रजातियों से बनी सामग्रियों और ट्राफियों के व्यापार या व्यावसायिक इस्तेमाल को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। सन 1991 में इस अधिनियम में 'वन्यजीव' {अनुच्छेद 2(36)}, की परिभाषा भी विस्तृत कर दी गई। विस्तृत परिभाषा के तहत न सिर्फ इस अधिनियम में जानवरों, मधुमक्खियों, तितलियों, क्रस्टेशिया, मछलियों और पतंगों को शामिल किया गया बल्कि समुद्र और जमीन पर पाई जाने वाली उन वनस्पतियों को भी शामिल कर लिया गया जो पारिस्थितिकी का हिस्सा हैं। इसके मद्देनजर अधिनियम का शीर्षक भी बदला गया। इसके तहत अधिनियम का नाम *''वन्यजीव और पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने वाला अधिनियम''* से बदल कर *''वन्यजीवों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करने वाला अधिनियम''* कर दिया गया। 1991 के संशोधन के बाद विशिष्ट पौधों के संरक्षण के लिए अध्याय III A को जोड़ा गया। इसमें अधिनियम की सूची VI में भारतीय मूल के वे सभी छह पौधे हैं जो साइटिस के परिशिष्ट I में हैं। संबंधित राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन की ओर से जारी लाइसेंस के बिना इस अधिनियम के तहत किसी भी विशिष्ट पौधे को उगाने और उसके व्यापार पर प्रतिबंध है।

निर्यात-आयात नीति

निर्यात-आयात नीति विदेश व्यापार (विकास और नियंत्रण) अधिनियम 1992, के प्रावधानों के तहत लाई जाती है। यह नीति वन्यजीवों समेत सभी वस्तुओं के आयात और निर्यात को नियंत्रित करती है। वन्यजीवों और वनस्पतियों से संबंधित निर्यात-आयात नीति भारत में साइटिस के प्रबंध प्राधिकरण से विचार-विमर्श करके तय और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, के जरिए लागू की जाती है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962

आमतौर पर निर्यात/आयात नीति और विशेष तौर पर साइटिस का उल्लंघन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अपराध है। निर्यात और आयात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, की धारा 3(2) में उल्लेखित निर्यात और आयात नीति में शामिल सभी वस्तुएं (वन्यजीव और वनस्पतियों समेत) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 11 के तहत मानी जाएंगी। लिहाजा, जब साइटिस का उल्लंघन हो रहा हो तो सीमा शुल्क विभाग की भूमिका मुख्यतः देश के प्रवेश और निकास द्वारों पर होती है।

प्रवर्तन

सीमा शुल्क अधिकारी और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्रीय उप निदेशक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत आयात और निर्यात के मार्गों या द्वारों पर साइटिस के प्रावधानों को अमल में लाते हैं। इसके अलावा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, के तहत राज्य के वन्यजीव विभाग मुख्य वन्यजीव वार्डन की देखरेख में साइटिस के प्रावधानों को कार्यरूप देते हैं। वनस्पतियों का सारा निर्यात केवल मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि, अमृतसर और तूतीकोरीन के सीमा शुल्क द्वारों से ही स्वीकृत है। वन्यजीवों और उसके उत्पाद के निर्यात और आयात से जुड़ी दो जरूरी शर्तें हैं।

1. साइटिस के प्रावधानों को पूरा किया जाए।
2. सीमा शुल्क द्वारों पर वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रीय उप निदेशकों की देखरेख में माल की जांच हो। वन्यजीव वस्तुओं के विक्रेताओं और उत्पादकों को मुख्य वन्यजीव वार्डन लाइसेंस भी जारी करते हैं। साथ ही वे माल की वैधता को साबित करने के लिए वन्यजीव और वनस्पतियों के निर्यातकों को वैध प्राप्ति का प्रमाणपत्र जारी करते हैं। साइटिस की सूची मे शामिल उगाई गई प्रजातियों के संबंध में उस प्रजाति के मूल क्षेत्र के क्षेत्रीय उप निदेशक (वन्यजीव), या मुख्य वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी उत्पादक को खेती का प्रमाणपत्र जारी करते हैं। खेती का प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाता है जबकि ऊपर उल्लेखित अधिकारी इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हों कि उस नमूने की खेती की गई है।

राजस्व सतर्कता निदेशालय (डी आर आई), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी बी आई), पुलिस, राज्यों के वन विभाग भी वन्यजीवों और इनके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने में सहयोग करते हैं।

साइटिस को अमल में लाने वाली संस्थाएं

साइटिस के तहत समझौते के प्रावधानों को अमल में लाने के लिए संबंधित पक्षों को राष्ट्रीय स्तर पर प्राधिकार स्थापित करना आवश्यक है। इसका उद्देश्य विश्वस्तर पर संस्थाओं के एक ऐसे नेटवर्क की स्थापना करना है जो सामान्य राजनयिक रास्तों से परे, सीधे एक-दूसरे के साथ सहयोग का अवसर दे सके। समझौते के अनुच्छेद IX(1) के तहत संबंधित पक्ष, एक या एक से अधिक प्रबंध प्राधिकार की स्थापना करेगा। इस प्राधिकार को परमिट व प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार होगा। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक प्राधिकार स्थापित किए जाएं जो उस देश में साइटिस के क्रियान्वयन की वैज्ञानिक निगरानी करें। भारत में निम्न प्रबंध और वैज्ञानिक प्राधिकार अधिसूचित किए गए हैं।

प्रबंध प्राधिकार (मैनेजमेंट एथारिटी)

1. वन महानिरीक्षक, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक (वन्यजीव संरक्षण) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

सह प्रबंध प्राधिकार

1. क्षेत्रिय उप निदेशक, वन्यजीव संरक्षण, (उत्तरी क्षेत्र), नई दिल्ली
   अधिकार क्षेत्र - उत्तर प्रदेश, पजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित सभी वन्यजीव वस्तुएं।
2. क्षेत्रिय उप निदेशक, वन्यजीव संरक्षण (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई
   अधिकार क्षेत्र - तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, पांडिचेरी, लक्षदीप व अंडमान व निकोबार द्वीप समूह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित वन्यजीव वस्तुएं।
3. क्षेत्रिय उप निदेशक, वन्यजीव संरक्षण (पूर्वी क्षेत्र) कलकत्ता
   अधिकार क्षेत्र - पश्चिमी बंगाल असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर मिजोरम और उड़ीसा, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित सभी वन्यजीव वस्तुएं।
4. क्षेत्रिय उप निदेशक, वन्यजीव संरक्षण (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई
   अधिकार क्षेत्र - महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, दादरा और नागर हवेली, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वन्यजीव वस्तुएं।
5. संयुक्त निदेशक, बाघ परियोजना, नई दिल्ली
   अधिकार क्षेत्र - उल्लेख नहीं

इन क्षेत्रीय प्राधिकारों के अलावा अमृतसर (पंजाब), गुवाहाटी (असम) और कोचीन (केरल) में उप क्षेत्रीय प्राधिकार स्थापित किए गए हैं। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्रीय उप निदेशक को कामकाज में सह निदेशक, इंस्पेक्टर और तकनीक सहायक सहयोग करते हैं और ये सभी अपने-अपने क्षेत्रों में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को भी अमल में लाते हैं।

सीमा शुल्क द्वारों पर बेहतर निगरानी के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, कोच्चि, अमृतसर और तूतीकोरीन में वन्यजीव इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं।

वैज्ञानिक प्राधिकार (साइंटिफिक एथारिटी)

1. निदेशक, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
2. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
3. निदेशक, केंद्रीय समुद्री मत्स्य शोध संस्थान, कोचीन (केरल)
4. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून (उत्तर प्रदेश)

वैज्ञानिक प्राधिकार का मुख्य दायित्व परमिट और प्रमाणपत्र जारी करने, प्रजातियों की स्थिति के बारे में और परिशिष्ट II में शामिल प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की निगरानी के संबंध में प्रबंध प्राधिकार को परामर्श देना है।

III. CITES LISTED FLORA OF INDIA

APPENDIX - I

FAMILY	SPECIES	COMMON NAMES	REMARKS
COMPOSITAE	*Saussurea costus*	Kuth*	
CYCADACEAE	*Cycas beddomei*	Beddomes' cycad	
NEPENTHACEAE	*Nepenthes khasiana*	Pitcher plant	
ORCHIDACEAE	⌘*Renanthera imschootiana*	Red vanda	
	⌘*Vanda coerulea*	Blue vanda	⌘Tissue culture or seedlings excluded
	⌘ *Paphiopedilum* spp.	Ladies slipper orchids	

APPENDIX - II

FAMILY	SPECIES	COMMON NAMES	REMARKS
APOCYNACEAE	*Rauvolfia serpentina* #2	Sarpgandha*	18.1.1990 onwards
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana* #1	Monkey puzzle tree	
BERBERIDACEAE	*Podophyllum hexandrum* (emodi) #2	Indian podophyllum*	18.1.1990 onwards
CACTACEAE	Cactaceae spp. # 4	Cactus	Cultivated in India
CYATHEACEAE	Cyatheaceae spp. #1	Tree ferns	
DICKSONIACEAE	Dicksoniaceae spp. #1	Tree Ferns*	Includes Cibotium barometz
CYCADACEAE	Cycadaceae spp. #1	Cycads	Excluding *Cycas beddomei* which is in Appendix - I
DIOSCOREACEAE	*Dioscorea deltoidea* #1	Elephant's foot*	1.7.1975 onwards
DROSERACEAE	*Dionaea muscipula* #1		
EUPHORBIACEAE	*Euphorbia* spp. #1	Euphorbias*	

* Includes important medicinal plants

APPENDIX - II

FAMILY	SPECIES	COMMON NAMES	REMARKS
LILIACEAE	Aloe spp. #1	Aloes*	*Aloe vera* also referred as *Aloe barbadensis* excluded from Appendix - II
ORCHIDACEAE	Orchidaceae spp. #7	Orchids	Excluding species covered in App. I
LEGUMINOSAE	*Pterocarpus santalinus* #6	Red sanders*	16.2.95 onwards
TAXACEAE	*Taxus wallichiana* #8	Common yew* or Birmi leaves	16.2.95 onwards
THYMELAEACEAE	*Aquilaria malaccensis* #1	Agarwood*	16.2.95 onwards
SCROPHULARIACEAE	*Picrorhiza kurrooa* #3	Kutki*	1997 onwards
VALERIANACEAE	*Nardostachys grandiflora* #3.	Jatamansi*	1997 onwards

*Includes important medicinal plants

APPENDIX - III

FAMILY	SPECIES	COMMON NAMES	REMARKS
GNETACEAE	*Gnetum montanum* #1		App.III for Nepal
MAGNOLIACEAE	*Talauma hodgsonii* #1		App.III for Nepal
PODOCARPACAE	*Podocarpus neriifolius* #1	Kat bhaluka	App.III for Nepal

NOTE

#1 Designates all parts and derivatives, except:

a) Seeds, spores and pollen (including pollinia); and

b) Seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers.

#2 Designates all parts and derivatives, except:

a) Seeds and Pollen;

b) Seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers; and

c) Chemical derivatives

#3 Desginates roots and readily recognizable parts thereof.

#4 Designates all parts and derivatives, except:

a) Seeds and pollen;

b) Seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers;

c) Fruits and parts and derivatives thereof or naturalized or artificially propagated plants; and

d) Separate stem joints (pads) and parts and derivatives thereof or naturalized or artificially propagated plants of the genus Opuntia.

#5 Designates saw-logs, sawn wood and veneers.

#6 Designates logs; wood-chips and unprocessed broken material.

#7 Designates all parts and derivatives, except:

a) Seeds and pollen (including pollinia);

b) Seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers;

c) Cut flowers of artificially propagated plants; and

d) Fruits and parts and derivatives thereof or artificially propagated plants of the genus Vanilla.

#8 Designated all parts and derivatives, except:

a) Seeds and pollen;

b) Seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers; and

c) Finished pharmaceutical products.

III. साइटिस सूची में भारत की वनस्पतियां

परिशिष्ट - I

परिवार	प्रजाति	सामान्य नाम	टिप्पणी
कंपोशईटे	*सॉसुरिया कॉस्ट्स*	कुठ*	
साइकैडेसी	*साइकस बडोमी*	बैडोम्स साइकस	
नैपेनथासी	*निपैन्थिस खासियाना*	पिचर पौधा	
आर्किडासी	⌘*रिनैन्थीरा इक्सूटियाना*	लाल वैंडा	
	⌘*वैंडा सिरलिया*	नीला वैंडा	⌘टिश्यू कल्चर या सीडलिंग्स शामिल नहीं
	⌘*पैफियोपैडिलम कुल*	लेडीज् स्लीपर्स आर्किड	

परिशिष्ट - II

परिवार	प्रजाति	सामान्य नाम	टिप्पणी
एपोसाइनासी	*रॅवुल्फिया सरपेंटाइना #2*	सर्पगंधा*	18.1.90 से
अरोकारियासी	*ऐरोकेरिया ऐरोकॉना # 1*	मंकी पजल ट्री	
बेरबेरीडासी	*पोडोफिल्लम हैक्साड्रैम (इमोडी)#2*	भारतीय पोडोफाइलम*	18.1.90 से
कैक्टासी	कैक्टासी कुल #4	कैक्ट्स	भारत में खेती
साईआथीसी	सॉयथिऐसी कुल #1	ट्री फर्न्स	
डिकसोनिऐसी	डिकसोनिऐसी कुल #2	ट्री फर्न्स*	*सीबोटियम बैरोमेट्स**
सॉइकेडासी	सॉइकेडासी कुल #1	साइकैड्स	*साइक्स बैडोमी* शामिल नहीं, जो कि परिशिष्ट I में है।
डायसकोरियासी	*डायोसकोरिया डेलटॉइडिया #1*	एलीफैंट्स फुट*	1.7.75 से
ड्रॉसेरासी	*डायोनिया म्यूसिपिला #1*		
यूफोरबियासी	यूफोरबिया कुल #1	यूफोरबियास*	
लिलियासे	*ऐलो कुल #1*	ऐलो*	एलो वैरा, जिसका नाम *एलो बारबाडेंसिस* भी है, परिशिष्ट II से बाहर
आर्किडॉसी	*आर्किडेसी कुल #7*	आर्किड कुल	परिशिष्ट I में शामिल प्रजातियों को छोड़कर

* औषधीय प्रजाति

परिशिष्ट - II

परिवार	प्रजाति	सामान्य नाम	टिप्पणी
लेग्यूमिनोसे	*टैरोकार्पस सैंटालिनस #6*	लाल सैंडर्स*	16.2.95 से
टॉक्सासे	*टैक्सस वालीचियाना #8*	सामान्य यू या विर्मिलीव्ज*	16.2.95 से
थाईमीलियासी	*एक्यूलैरिया मालाकैंसिस #1*	अगर लकड़ी*	16.2.95 से
स्क्राफूलारियासे	*पिक्रोराईजा कुरुवा #3*	कुटकी*	1997 से
वालेरियानासी	*नार्डोस्टाचिस ग्रेंडीफ्लोरा #3*	जटामानसी*	1997 से

परिशिष्ट - III

परिवार	प्रजाति	सामान्य नाम	टिप्पणी
नेटासी	*नीटम मौंटेनम # 1*		परिशिष्ट III नेपाल के लिए
मेग्नोलियासी	*तलौमा हौजसोनी # 1*		परिशिष्ट III नेपाल के लिए
पोडोकारपासे	*पोडोकॉरपस नेरीफोलियम # 1*	काटभालूका	परिशिष्ट III नेपाल के लिए

विशेष

\# 1 सभी हिस्से और उत्पाद शामिल हैं, सिवाए:-

(क) - बीज, बीजाणु और पराग (पराग कण समेत)

(ख) - द्रव्य या ठोस शक्ल में वाइट्रो से प्राप्त छोटे पादप या टिश्यू कल्चर, जिन्हें परिष्कृत डब्बों में एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है।

\# 2 सभी हिस्से और उत्पाद शामिल हैं, सिवाए:-

(क) - बीज और पराग

(ख) - वाइट्रो से प्राप्त पादप या टिश्यू कल्चर, जिन्हें ठोस या द्रव्य के रूप में परिष्कृत डब्बों में एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है।

(ग) - रसायनिक उत्पाद

\# 3 जड़ें और आसानी से पहचान में आने वाले उनके हिस्से को स्पष्ट करता है।

\# 4 सभी हिस्से और उत्पाद को स्पष्ट करता है, सिवाए:-

(क) - बीज और पराग

(ख) - अनुसंधानशाला से प्राप्त ठोस या द्रव्य की शक्ल में पादप और टिश्यू कल्चर, जिन्हें परिष्कृत डब्बों में एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है।

(ग) - तनों के अलग-अलग जोड़, उनके हिस्से और उनसे बने उत्पाद या ओपंशिया वंश के प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से विकसित किए गए पौधे।

#5 आरे से कटे लट्ठे, लकड़ी या लकड़ी की पर्तें।

#6 लट्ठे या लकड़ी के टुकड़े और अप्रसंस्कृत टूटा माल

#7 सभी हिस्से और उनसे बना उत्पाद बताता है, सिवाए:-

(क) - बीज और पराग (पराग कण समेत),

(ख) - वाइट्रो से प्राप्त पादप या टिश्यू कल्चर, जिन्हें ठोस या द्रव्य के रूप में परिष्कृत डब्बों में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है,

(ग) - कृत्रिम रूप से विकसित पौधों से काटे गए फूल और

(घ) - वनीला वंश के फल, उनके हिस्से और उनसे बनने वाले उत्पाद या इस वंश के कृत्रिम रूप से विकसित किए गए पौधे।

#8 सभी हिस्से और उनके उत्पाद स्पष्ट करता है, सिवाए:-

(क) - बीज और पराग,

(ख) - अनुसंधानशाला से प्राप्त पादप या टिश्यू कल्चर, जिन्हें ठोस या द्रव्य के रूप म परिष्कृत डिब्बों में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और

(ग) - तैयार औषधीय उत्पाद

IV. EXPORT AND IMPORT POLICY

The Export and Import Policy is brought out under the provision of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992.The present Export Import Policy is applicable for the period of 1st April 1997 to 31st March 2002, it however undergoes amendment from time to time.

The general policy is that the export and import is free unless it is regulated by the ITC(HS) Classification of Export and Import items or any provisions of the Export and Import policy or any other law for the time being in force. The Director General of Foreign Trade (DGFT) also specifies through a Public Notice such terms and conditions in which goods may be exported or imported. Regulation of export or import is done by "prohibiting" international trade by inclusion in Negative List of Exports or Negative List of Import or by declaring it a "restricted" item.

- **Prohibited Items :-** It means any item, the import or export of which is subject to any prohibition under the Customs Act, 1962 or any other law for the time being in force but does not include any goods in respect of which the conditions subject to which the goods are permitted to be imported or exported have been complied with.
- **Restricted Item :-** It means any item, the export and import of which is permitted subject to licencing or any other specified regulation.

NEGATIVE LIST OF IMPORTS[1]

Restricted Items

Plants, Fruits & Seeds

- Import of seeds for consumption or other purposes is permitted against a licence or in accordance with a Public Notice in this behalf.
- Import of seeds fo*r sowing can be made by the Indian Council of Agricultural Research, Agricultural Universities, Botanical and Horticulture Departments of other Universities and State Governments, without a licence. Such import shall be subject to such conditions as may be specified by the Ministry of Agriculture, Government of India from time to time.
- Import of plants, their products and derivatives shall also be subject to the provision of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

NEGATIVE LIST OF EXPORTS[2]

Prohibited Items

All items of plants included in Appendix I and Appendix II of CITES, wild orchids as well as plants as specified in Schedule 2 Appendix 2 of the book titled "ITC (HS) Classification of Export and Import items are prohibited for the purpose of export.

1 Export and Import Policy 1st April 1997 -31st March 2002 (Chaper 15)

2 Export and Import Policy 1997-2002 (Chapter 16)

ITC (HS) Classification of Export and Import Items - Schedule 2 Appendix 2[3*]

(i) The export of under mentioned 29 plants, plant portions and their derivatives and extracts as such obtained from the wild except the formulations (The term "formulation" used here shall include products which may contain portions/ extracts of plants on the prohibited list but only in unrecognizable and physically inseparable form.) made therefrom, is prohibited

1 *Cycas beddomei* (Beddomes cycad)
2. *Vanda coerulea* (Blue Vanda)
3. *Saussurea costus* (Kuth)
4. Paphiopedilium species (Lady's Slipper Orchid)
5. *Nepenthes khasiana* (Pitcher plant)
6. *Renanthera imschootiana* (Red Vanda)
7. *Rauvolfia serpentina* (Sarpagandha)
8. *Ceropegia* species
9. *Frerea indica* (Shindal Mankundi)
10. *Podophyllum hexandrum* (emodi) (Indian Podophyllum)
11. Cyatheaceae species (Tree Ferns)*
12. Cycadaceae species
13. *Dioscorea deltoidea* (Elephant's foot)
14. Euphorbia species (Euphorbias)
15. Orchidaceae species (Orchids)
16. *Pterocarpus santalinus* (Red Sanders)
17. *Taxus wallichiana* (Common Yew or Birmi leaves)
18. *Aquilaria malaccensis* (Agarwood)
19. *Aconitum* species
20. *Coptis teeta*
21. *Coscinium fenestratum* (Calumba wood)
22. *Dactylorhiza hatagirea*
23. *Gentiana kurroo* (Kuru, Kutki)
24. Gnetum species
25. *Kaempferia galanga*
26. *Nardostachys grandiflora* (Jatamansi)
27. *Panax pseudoginseng*
28. *Picrorhiza kurrooa*
29. *Swertia chirata* (Charayatah)

(ii) Plants and plant portions, derivatives and extracts of the cultivated varieties of the above plant species (exluding Sl.no. 16) will be allowed for export subject to production of a Certificate of Cultivation from the Regional Deputy Director (Wildlife), or Chief Conservator of Forests or Divisional Forest Officers of the State concerned from where these plants and plant portions have been procured. However, in respect of the cultivated varieties of the species as covered by CITES Appendix I (Sl.no.1 to 6) and Appendix II (Sl.no. 7 to 18 and Sl.no.26 & 28) of Para (i) above, a CITES Permit for export will also be required.

(iii) The value added formulations, as defined under para (i), made out of imported species of plants and plant portions as specified in para (i) will now be allowed to be exported freely without any restriction subject to furnishing of an affidavit to the Customs authorities at the time of export that only the imported plant species as above have been used for the manufacture of value added formulations being exported. In the event of affidavit proving to be false, on the basis of random sample tests, action would be initiated against the firm under the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992.

(iv) All formulations - herbal / Ayurvedic medicines, where the label does not mention any ingredients extracted from these prohibited plants shall be freely exportable without the requirement of any certification from any authorities whatsoever.

(v) Export allowed only through the ports of Mumbai, Calcutta, Cochin, Delhi, Chennai, Tuticorin and Amritsar.

* Since Dicksoniaceae are also tree ferns, they are presumed to be included here

3 Vide Notification No 24 (RE-98)/1997-2002,Ministry of Commerce, Government of India, dated 14.10.98

* There have been frequent amendments to this notification. A user is advised to refer to the latest amendment in case of doubt.

IV. निर्यात और आयात नीति

निर्यात और आयात नीति, विदेश व्यापार (विकास और नियंत्रण) अधिनियम, 1992, के प्रावधानों के तहत बनाई जाती है। वर्तमान निर्यात - आयात नीति 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 की समयावधि में मान्य है, हालांकि इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है।

सामान्य नीति के अंतर्गत निर्यात और आयात मुक्त होता है जब तक कि वह निर्यात और आयात वस्तुओं के आई.टी.सी. (एच.एस) वर्गीकरण या निर्यात और आयात नीति के प्रावधानों या उस समय लागू किसी कानून के तहत नियंत्रित न हो। विदेश व्यापार महानिदेशक सार्वजनिक नोटिस के जरिए उन स्थितियों और शर्तों का निर्धारण करता है जिनके तहत वस्तुओं का निर्यात और आयात किया जा सकता है। निर्यात और आयात का नियंत्रण वस्तु के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को "निषिद्ध" करके किया जाता है। ऐसी वस्तु को निर्यात की नकारात्मक सूची या आयात की नकारात्मक सूची में शामिल किया जाता है या उसे "प्रतिबंधित" घोषित कर दिया जाता है।

- **प्रतिबंधित वस्तुएं** - इसका तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जिसका आयात या निर्यात सन 1962 के सीमाशुल्क कानून या समयावधि के लिए लागू किए गए किसी कानून के तहत प्रतिबंधित है।
- **नियंत्रित वस्तुएं** - इसका तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जिसके निर्यात और आयात की अनुमति लाइसेंस मिलने या किसी दूसरे नियम को पूरा करने पर निर्भर है।

आयात की नकारात्मक सूची[1]

नियंत्रित वस्तुएं

पौधे, फल और बीज

- ♦ उपभोग या किसी दूसरे उद्देश्य के लिए बीजों का आयात लाइसेंस द्वारा या इस संबंध में जारी सार्वजनिक नोटिस की शर्तों को पूरा करने पर स्वीकृत है।
- ♦ रोपाई के लिए बीजों का आयात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों, दूसरे विश्वविद्यालयों के वनस्पति या बागवानी विभागों और राज्य सरकारों द्वारा बिना किसी लाइसेंस के किया जा सकता है। ऐसा आयात भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से समय-समय पर निर्दिष्ट की गई शर्तों से निर्धारित होगा।
- ♦ पौधों, उनके उत्पाद और रस के आयात में, साइटिस की शर्तें भी लागू होंगी।

निर्यात की नकारात्मक सूची - पौधे[2]

प्रतिबंधित वस्तुएं

साइटिस के परिशिष्ट I और परिशिष्ट II में शामिल पौधों,जंगली आर्केड तथा आई.टी.सी (एचएस) क्लासिफिकेशन आफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आइट्म्स नामक पुस्तक के परिशिष्ट दो की सूची दो में शामिल पौधों का निर्यात प्रतिबंधित है।

आई.टी.सी. (एच.एस.) क्लासिफिकेशन आफ एक्सपोर्ट एण्ड इंपोर्ट आइट्म्स - परिशिष्ट 2 सूची 2[3]

(I) नीचे दिए गए जंगल से प्राप्त 29 पौधों, पौधों के हिस्सों, उनके उत्पादों और इनके रस का निर्यात, फार्मूलेशन (यहां फार्मूलेशन से आशय उन उत्पादों से है जिसमें प्रतिबंधित सूची में शामिल पौधों के हिस्से या निचोड़ शामिल हो सकते हैं लेकिन वे पहचान के योग्य नहीं हो और उन्हें फार्मूलेशन से अलग नहीं किया जा सकता हो) को छोड़कर प्रतिबंधित है।

1. *साइकस बेडोमी* (बैडोमी साइकैड)
2. *वैंडा कोईरूलिया* (ब्लू वंडा)
3. *सॉसुरिया कॉस्ट्स* (कुट)
4. पाफियोपैडिलियम प्रजाति (लेडीज स्लिपर आर्किड)

1.निर्यात और आयात नीति, एक अप्रैल 1997- 31 मार्च 2002 (अध्याय 15)

2. निर्यात और आयात नीति 1997-2002 (अध्याय 16)

3.विस्तृत सूचनापत्र नंबर 24,आर ई - 98/1997- 2002, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, दिनांक 14.10.98

5. *नैपेंथस खासियाना* (पिचर प्लांट)
6. *रेनाथेरा इम्सकूतियाना* (रेड वंडा)
7. *रॅवुल्फिया सर्पेटाइना* (सर्पगंधा)
8. सेरोपीजिया प्रजाति
9. *फ्रिरीया इंडिका* (सिंडल मनकुंडी)
10. *पोडोफिल्लम हेक्सॉड्रम* (इमोडी, (इंडियन पोडोफाइलम))
11. सॉयथिएसी कुल (ट्री फर्नस)*
12. साइकाडासी कुल
13. *डायोसकोरिया डेल्टॉइडिया* (एलीफैंट्स फुट)
14. यूफोरबिया कुल (यूफोरबिया)
15. आर्किडासी कुल (आर्किड)
16. *टैरोकार्पस सेंटालिनस* (रक्त चंदन)
17. *टैक्सस वालीचियाना* (सामान्य यू या बिरमी पत्ते)
18. *एक्यूलैरिया मैलाकैंसिस* (अगर लकड़ी)
19. एकोनिटम प्रजाति
20. *कॉपटिस टीटा*
21. *कॉसनियम फैनस्ट्रैटम* (कैलुंबा वुड)
22. डैक्टाईलोराइझा हॉटाजिरिया
23. *जैनशियाना कुरु* (कुरु, कुटकी)
24. निटम प्रजाति
25. *कैंपफिरीया गलैंगा*
26. *नार्डोस्टैचिस ग्रेंडीफ्लोरा* (जटामानसी)
27. *पैनॉक्स स्यूडोजिनसिंग*
28. *पिक्रोराईजा कुरुवा*
29. *स्वरशिया चिराता* (चरैता)

(II) ऊपर उल्लेखित उत्पादित पौधों की प्रजातियों, उनके हिस्सों, उत्पादों और रस (संख्या क्रम 16 को छोड़कर) का निर्यात स्वीकृत किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय उप निदेशक (वन्यजीव) या मुख्य वन संरक्षक या उस राज्य के संभागीय वन अधिकारी, जहां से ये पौधे या उनके हिस्से प्राप्त किए गए हैं, की ओर से उत्पाद का प्रमाणपत्र पेश करना होगा। लेकिन पैरा I में साइटिस परिशिष्ट। (संख्या नंबर 1 से 6) और परिशिष्ट II (संख्या से 7 से 18 और संख्या नंबर 26 और 28) में शामिल प्रजातियों की उगाई गई किस्मों के लिए साइटिस निर्यात परमिट की आवश्यकता है।

(III) पैरा I में परिभाषित सूची के आयातित पौधों और पौधों के हिस्सों से गुण संपन्न फारमूलेशन के मुक्त निर्यात की अनुमति होगी। इसके लिए निर्यात के समय सीमा शुल्क अधिकारियों के सामने एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा। इस शपथपत्र में लिखा होगा कि निर्यात गुण संपन्न फारमूलेशन के निर्माण में केवल आयातित पौधों की प्रजाति का इस्तेमाल किया गया है। औचक्क नमूना परीक्षण के आधार पर यदि शपथपत्र गलत साबित होता है तो कंपनी के खिलाफ विदेश व्यापार (विकास व नियंत्रण) अधिनियम, 1992 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

(IV) उन सभी मिश्रण हरबल/आयुर्वैदिक दवाओं का निर्यात अधिकारियों के बिना किसी प्रमाणपत्र के किया जा सकेगा जहां लेबल पर इन प्रतिबंधित पौधों से निकाले गए किसी भी तत्व का नाम न हो।

(V) निर्यात की अनुमति केवल मुंबई, कलकत्ता, कोच्चिन, दिल्ली, चेन्नई, तूतीकोरीन और अमृतसर के बंदरगाहों से है।

* डिकसोनिऐसी भी ट्री फर्नस है। यह माना जाता है कि ये भी इसमें शामिल है।

V. ESSENTIAL DOCUMENTS TO CHECK FOR INTERNATIONAL TRADE IN CITES LISTED MEDICINAL PLANTS OF INDIA

Following documents are essential for international trade of plants as per the requirement of CITES and the Export and Import Policy of the Government of India.

APPENDIX - I

IMPORT	EXPORT*	RE-EXPORT
• **Import Permit** of CITES* • **Export Permit** of CITES by the exporting country. • In case of import of seeds for sowing or planting purpose, an **Import Permit**, granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order, 1989 • An **Import Licence**, in respect of seeds for consumption purposes.	• **Export Permit** of CITES*, in case of wild specimens, issued only after Import Permit has been granted by the importing country. • A **No Objection Certificate (NOC)/Exemption Certificate** from the Regional Deputy Director (Wildlife) in case of cultivated specimens. • A **Legal Procurement Certificate(LPC)** # in respect of wild specimens. • A **Certificate of Cultivation#** in case of cultivated species. • In the export of seeds, an **Affidavit**, stating that the seed is not Breeder or Foundation or Wild variety seed.	• In case of re-export of formulation, an **Affidavit**, stating that only imported species have been used in the manufacture of value added formulations. (The term formulation includes products which contain portions or extracts of plants in unrecognizable and physically inseperable form)

* Issued by the Regional Deputy Director (Wildlife Preservation)

\# Issued by the Regional Deputy Director (Wildlife), or the Chief Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer of the State concerned from which these plant portions have been procured.

*Export permitted only from Mumbai, Calcutta, Cochin, Delhi, Chennai, Tuticorin and Amritsar ports.

APPENDIX - II

IMPORT	EXPORT*	RE-EXPORT
• **Export Permit** of CITES issued by the exporting country. • In import of seeds for sowing or planting purpose, an **Import Permit**, granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order, 1989 • An **Import Licence**, in respect of seeds for consumption purposes	• **Export Permit** of CITES*, in case of wild specimens. • A **No Objection Certificate (NOC)/Exemption Certificate** from the Regional Deputy Director (Wildlife) in case of cultivated specimens. • A **Legal Procurement Certificate(LPC)** # in respect of wild specimens. • A **Certificate of Cultivation#** in case of cultivated species. • In the export of seeds, an **Affidavit**, stating that the seed is not Breeder or Foundation or Wild variety seed.	• In case of re-export, of formulation, an **Affidavit**, stating that only imported species have been used in the manufacture of value added formulations.

* Issued by the Regional Deputy Director (Wildlife Preservation)

\# Issued by the Regional Deputy Director (Wildlife), or the Chief Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer of the State concerned from which these plant portions have been procured.

*Export permitted only from Mumbai, Calcutta, Delhi, Chennai, Cochin, Tuticorin and Amritsar ports

APPENDIX - III*

IMPORT	EXPORT	RE-EXPORT
• **Export Permit** of CITES issued by the exporting country•. • In import of seeds for sowing or planting purpose, an **Import Permit**, granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order, 1989 • An **Import Licence**, in respect of seeds for consumption purposes	*	*

*India has not listed any medicinal plant species in Appendix III

•In case of import from any other country i.e other than a country that has listed a particular species, a Certificate of Origin is required, as a proof that it does not originate from the country that has listed it.

V. साइटिस में सूचीबद्ध भारतीय औषधीय पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जरूरी दस्तावेज

भारत सरकार की निर्यात - आयात नीति और साइटिस की जरूरतों के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए निम्नलिखित जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

परिशिष्ट - I

आयात	निर्यात#	पुनर्नियात
• साइटिस का आयात परमिट*। • निर्यातक देश से साइटिस का निर्यात परमिट। • बुवाई या उगाने के उद्देश्य से बीजों के आयात के मामले में पादप, फल और बीज (भारत में आयात के लिए नियंत्रण) आदेश, 1989 के तहत आयात परमिट। • खपत के उद्देश्य से बीजों के लिए आयात लाइसेंस।	• वन्य उत्पाद से संबंधित मामलों में साइटिस का निर्यात परमिट तभी जारी किया जाएगा जबकि आयातक देश आयात परमिट जारी कर दे*। • रोपण से प्राप्त उत्पाद के मामले में क्षेत्रीय उप निदेशक (वन्यजीव) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.)/ छूट का प्रमाणपत्र। • वन्य उत्पाद के मामले में कानूनी प्राप्ति प्रमाणपत्र (एल.पी.सी.)•। • रोपण से प्राप्त उत्पाद के बारे में खेती का प्रमाणपत्र• आवश्यक है। • बीजों के निर्यात के मामले में ऐसा शपथपत्र आवश्यक है, जिसमें लिखा गया हो कि बीज न तो ब्रीडर और न ही फाउंडेशन या वन्य किस्म का है।	• प्रतिपादन (फारमूलेशन) के निर्यात के मामले में ऐसा शपथपत्र आवश्यक है, जिसमें लिखा हो कि उसके निर्माण में केवल आयातित प्रजाति का इस्तेमाल किया गया है। (फारमूलेशन का तात्पर्य उन उत्पाद से है जिसमें पौधों का भाग या रस इस प्रकार से मिश्रित हो कि उसे पहिचान करना या अलग करना असंभव हो)

*क्षेत्रीय उप निदेशक (वन्यजीव संरक्षण) द्वारा जारी।

•जिस राज्य से पौधे के हिस्से प्राप्त किए गए है, वहां के क्षेत्रीय उप निदेशक (वन्यजीव) या मुख्य वन संरक्षक या डिवीजनल वन अधिकारी द्वारा जारी।

#निर्यात की अनुमति केवल मुंबई, कलकत्ता, कोच्चिन, दिल्ली, चेन्नई, तूतीकोरीन और अमृतसर के बंदरगाहों के जरिए है।

परिशिष्ट - II

आयात	निर्यात#	पुनर्निर्यात
• निर्यातक देश की ओर से साइटिस का निर्यात परमिट • बुवाई और रोपण के लिए बीज का आयात करने के लिए, पौध, फल और बीज (भारत में आयात नियमन कानून) आदेश, 1989 के तहत आयात का परमिट। • उपभोग के लिए बीज का आयात करने लिए, आयात लाइसेंस।	• वन्य नमूनों के निर्यात के लिए साइटिस के तहत निर्यात परमिट आवश्यक है*। • उगाए गए नमूनों के निर्यात के लिए क्षेत्रीय उप निदेशक (वन्यजीव) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)/छूट प्रमाणपत्र। • वन्य नमूनों के लिए कानूनी खरीद प्रमाणपत्र (एलपीसी)#। • उगाए गए नमूनों के निर्यात के लिए की स्थिति में उत्पादन प्रमाणपत्र#। • बीजों के निर्यात की स्थिति में एक शपथपत्र हो, जिसमें लिखा हो कि बीज ब्रीडर या फाउंडेशन या वन्य किस्म का नहीं है।	• प्रतिपादन (फारमूलेशन) के निर्यात की स्थिति में एक शपथपत्र, जिसमें लिखा हो कि फारमूलेशन के निर्माण में सिर्फ आयातित प्रजाति का ही इस्तेमाल किया गया है।

*क्षेत्रीय उप निदेशक (वन्यजीव संरक्षण) द्वारा जारी।

#जिस राज्य से पौधे के हिस्से प्राप्त किए गए हैं, वहां के क्षेत्रीय उप निदेशक (वन्यजीव) या मुख्य वन संरक्षक या डिवीजनल वन अधिकारी द्वारा जारी।

#निर्यात की अनुमति केवल मुंबई, कलकत्ता, कोच्चि, दिल्ली, चेन्नई, तूतीकोरीन और अम तसर के बंदरगाहों के जरिए है।

परिशिष्ट - III*

आयात	निर्यात	पुनर्निर्यात
• निर्यातक देश की ओर साइटिस के तहत निर्यात परमिट**। • बुवाई और रोपण के लिए बीज का आयात करने के लिए सन 1989 के पौध, फल और बीज (भारत में आयात नियम) आदेश के तहत आयात परमिट। • उपभोग के लिए बीज का आयात करने पर आयात लाइसेंस।	*	*

* भारत ने किसी भी औषधीय पौधे की किसी भी किस्म को साइटिस परिशिष्ट III में अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

** ऐसे देश जिसने प्रजाति विशेष को सूची में शामिल किया है, के अलावा किसी दूसरे देश से आयात के मामले में मूल का प्रमाणपत्र आवश्यक है। जो इस बात की पुष्टि करेगा कि जिस देश ने इसे सूची में शामिल किया है, वह उसका (पौधे के माल का) मूल नहीं है।

VI.

IDENTIFICATION OF CITES LISTED MEDICINAL PLANTS OF INDIA

साइटिस में सूचीबद्ध भारत के औषधीय पौधों को पहिचानना

1. ALOE

The entire Aloe genus has been included in Appendix II of CITES except *Aloe barbadensis*. This genus consists of perennial succulents. Two species used commonly for medicinal purposes are *A. perryi* and *A. ferox*.

Aloe perryi

Family	Liliaceae (Aloeaceae)
Botanical Name	*Aloe perryi* Baker
Common Name	Sucotrine Aloe, Zanzibar Aloe

Distribution

Grows in the drier parts of the country.

Medicinal Use

The medicine prepared from the juice of the leaves is used for the treatment of jaundice, indigestion and piles. The plant also possesses mild anti-tumor activity against sarcoma.

Form in Which Traded

The whole plant, juice/milk extracted from leaves and formulations

Description of Raw Drug

It consists of the dried juice of the plant. The juice has a characteristic bitter taste.

Aloe ferox

Family	Liliaceae (Aloeaceae)
Botanical Name	*Aloe ferox* Miller
Common Name	Cape Aloe

Distribution

It is found in wild and also cultivated in the drier parts of India.

Medicinal Use

Used for a host of diseases, particularly those connected with digestive system. They are also used for wounds, burns and skin troubles. It is also used in the early stages of tuberculosis.

Form in Which Traded

The whole plant, juice extracted from the leaves and formulations

Description of Raw Drug

The raw drug consists of dried juice of the plants. The juice has a characteristic bitter taste and is nauseous.

International Trade Regulation

- Appendix II of CITES

Aloe

Form in Which International Trade is Permitted

CITES

The following are allowed for export and import

a) Seeds, spores and pollen (including pollinia); and

b) Seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers.

Export and Import Policy (Government of India) Regulation

Export

- Export of plants and plant portions obtained from the wild is allowed on production of a no objection Certificate (NOC) from the Regional Deputy Director (Wildlife), or the Chief Conservato of Forests or the Divisional Forest Officer of the State concerned from where these plants and plant portions have been procured. Besides a CITES permit for Export is required.

- The export of plants and plant portions of the cultivated varieties are allowed subject to the production of certificate of cultivation from any of the above mentioned authorised officers. Besides a CITES Permit for Export is required.

- Export of seeds is permitted subject to a declaration in the form of an affidavit from the exporter that the seed being exported is not Breeder or Foundation or Wild variety seed.

Import

- Import of seeds of *Aloe spp.* for sowing and planting purpose is allowed, subject to a permit of import granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order 1989.

- Import of seeds for consumption or other purposes is permitted against a licence or in accordance with a Public Notice in this behalf.

- Import of seeds for sowing can be made by the Indian Council of Agricultural Research, Agricultural Universities, Botanical and Horticulture Departments of other Universities and State Governments, without a licence. Such import shall be subject to such conditions as may be specified by the Ministry of Agriculture, Government of India, from time to time.

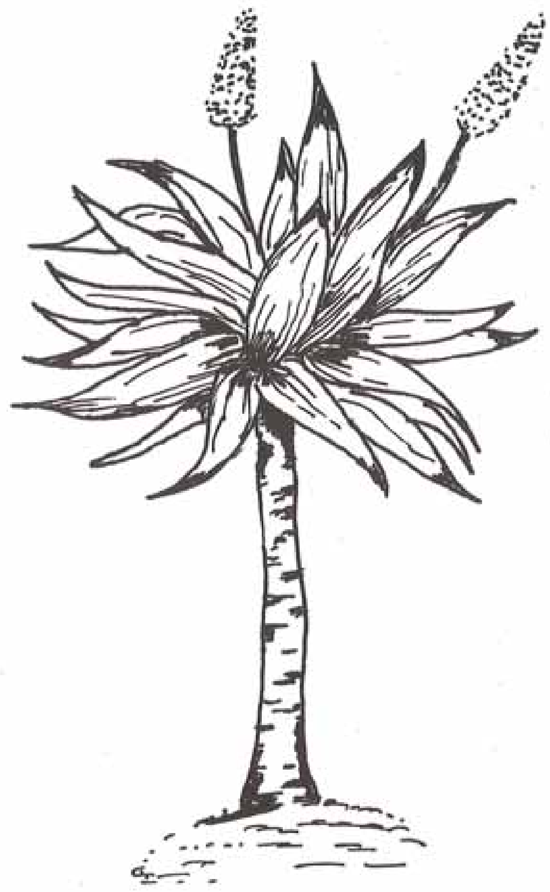

Aloe ferox
ऐलो फैरॉक्स

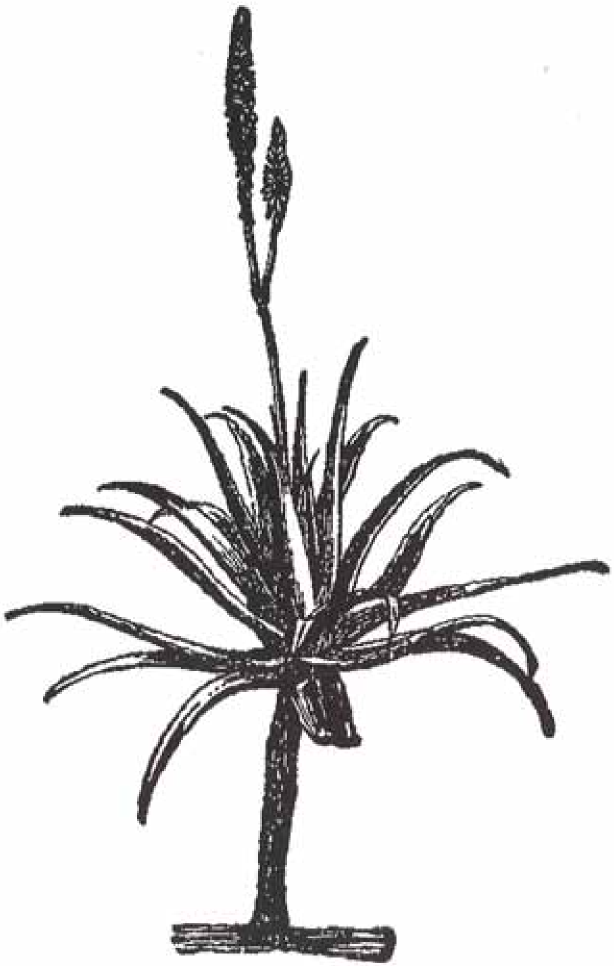

Aloe perryi
ऐलो पैरी

1. ऐलो

यह समूचा कुल, ए. *बारबाडेंसिस* के अलावा, साइटिस के परिशिष्ट II में शामिल है। इस वंश में स्थायी गूदेदार प्रजाति शामिल है। औषधीय उदेश्य के लिए सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाली दो प्रजातियां *ए.पैरी* और *ए.फैरोक्स* हैं।

ऐलो पैरी

परिवार	लिलियासी
वानस्पतिक नाम	*ऐलो पैरी* बैकर
सामान्य नाम	सुकोट्राइन ऐलो, जंजीबार ऐलो

विस्तार

देश के शुष्क हिस्सों में उगता है।

औषधीय इस्तेमाल

इसके पत्तों के रस से बनी औषधि का इस्तेमाल पीलिया, अपच और बवासीर के इलाज में किया जाता है। इस पौधे में कुछ हद तक सरकोमा के खिलाफ गांठों के इलाज के गुण भी हैं।

व्यापार के लिए इस्तेमाल

पुरा पौधा, पत्तों से प्राप्त रस/दूध और मिश्रण

कच्ची दवाओं का स्वरूप

इसमें पौधे का सुखाया हुआ रस शामिल है। इस रस का कड़वा सा स्वाद होता है।

एलो फैरॉक्स

परिवार	लिलियासी
वानस्पतिक नाम	*ऐलो फैरॉक्स* मिलर
सामान्य नाम	केप ऐलो

विस्तार

यह जंगलों में पाया जाता है और भारत के शुष्क भागों में उगाया भी जाता है।

औषधीय इस्तेमाल

इसका इस्तेमाल बहुत से रोगों के इलाज में किया जाता है, खासतौर पर पाचन प्रणाली से जुड़े मर्जों में। घाव, जले और चर्म रोगों के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यक्ष्मा (टीबी) के शुरुआती चरण में भी निदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

व्यापार के लिए इस्तेमाल

पुरा पौधा, इसके पत्तों का रस और मिश्रण

कच्ची दवा का स्वरूप

कच्ची दवा पौधे के सुखाए गए रस से बनती है। इसका स्वाद कड़वा होता है और सेवन से उबकाई आती है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण

- साइटिस के परिशिष्ट II में

ऐलो

अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अनुमति के प्रकार

साइटिस

निम्न का निर्यात और आयात स्वीकृत है -

(क) बीज, बीजाणु और पराग (पराग कण समेत), और

(ख) अनुसंधानशाला से प्राप्त किए गए ठोस या तरल शक्ल में पौधे या टिश्यू कल्चर जिन्हें जीवाणुहीन बक्सों में एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया हो।

निर्यात और आयात नीति (भारत सरकार) नियंत्रण

निर्यात

- जंगल से प्राप्त किए गए पौधों और पौधों के हिस्सों का निर्यात क्षेत्रीय उप निदेशक (वन्यजीव) या मुख्य वन संरक्षक या संबंधित राज्य के संभागीय वन अधिकारी से "कोई दिक्कत नहीं" (एन.ओ.सी.) प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर संभव है। निर्यात के लिए साइटिस परमिट की आवश्यकता है।
- उगाई गई किस्मों के पौधों और पौधों के हिस्सों का निर्यात ऊपर उल्लेखित अधिकृत अधिकारियों से खेती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत है। निर्यात के लिए साइटिस परमिट की आवश्यकता है।
- बीजों का निर्यात तभी स्वीकृत है जबकि निर्यातक एक शपथपत्र द्वारा घोषणा करे कि निर्यात किया जा रहा बीज ब्रीडर या फाउंडेशन या जंगली किस्म का बीज नहीं है।

आयात

- ऐलो प्रजाति के बीजों का आयात बुवाई और उगाने उद्देश्यों से स्वीकृत है। इसके लिए पौधे, फल और बीज (भारत में आयात का नियंत्रण) आदेश, 1989 के तहत आयात का परमिट लेना होगा।
- उपभोग या किसी दूसरे मकसद के लिए बीजों का आयात करने के लिए लाइसेंस या इस संबंध में किसी सार्वजनिक नोटिस के तहत।
- बुवाई के लिए बीजों का आयात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, दूसरे विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के वानस्पतिक व बागवानी विभाग बिना किसी लाइसेंस के कर सकते हैं। ऐसा आयात समय-समय पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से जारी की गई शर्तों के अधीन होगा।

2. AQUILARIA MALACCENSIS

Family	Thymelaeaceae
Botanical Name	*Aquilaria malaccensis* Lam.
Synonymous Name	*Aquilaria agallocha* Roxb.
Common Name	Agarwood, Aloe wood, Eagle wood

Vernacular Names

Assamese - *Sasi* Bengali - *Agaru,*
Gujarati - *Agar* Hindi - *Agar*
Tamil - *Aggalichandanam*
Telegu - *Agaru, Krsnagaru*
Khasi - *Dieng Agar*

Trade Name Agar, Agaru

Distribution

Distributed widely in North Eastern India, especially in the forests of Arunachal Pradesh, hilly tracts of Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland and Tripura.

Medicinal Use

Agarwood is used in the treatment of diarrhoea, dysentery, gout, rheumatism and asthma. It is used as a liniment in various skin diseases. Agarwood on distillation yields an essential oil known as Agar oil.

Form in Which Traded

Wood, chips, oil extracts and formulations

Description of Raw Drug

Agarwood is the wood of fungus infected trees.

Agarwood is graded in four categories depending upon the extent of resin accumulation

- Grade I or Black or true Agar: In this form the impregnation of the fungus is intense and the wood resembles black stone. It is heavy to the extent that it sinks in water and bears the highest oil content.
- Grade II or *Bantang:* It is brown in colour without any black tone.
- Grade III *or Bhuta or Phuta*: It is also brown in colour but inter-spread with 50% or more of yellow coloured wood.
- Grade IV or *Dhum:* It is mostly yellow with scattered streaks or brown and black.

International Trade Regulation

- Appendix II of CITES
- Included in the Negative List of Exports-Plants vide Notification No. 24 (RE -98)/1997-2002), Ministry of Commerce, Government of India.

Aquilaria malaccensis

Form in which International Trade is Permitted

CITES

The following are allowed for export and import

a) Seeds, spores and pollen (including pollinia); and

b) Seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers.

Export and Import Policy (Government of India) Regulation

Export

- Formulations i.e. products which may contain portions/extracts of *A. malaccensis* but only in unrecognisable and physically inseparable form, are allowed to be exported.
- Plants and plant portion, derivatives and extracts obtained from cultivated sources are allowed to be exported subject to the production of Certificate of Cultivation from the Regional Deputy Director (Wildlife), or the Chief Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer of the State concerned from where these plants and plant portions have been procured. Besides, a CITES Permit for export will also be required.
- Export of seeds is permitted subject to a declaration in the form of an affidavit from the exporter that the seed being exported is not Breeder or Foundation or Wild variety seed.

Re-Export

- The value added formulations, made out of imported species of plants and plant portions are allowed to be exported freely without any restriction, subject to furnishing of an affidavit to the Customs authorities at the time of export that only the imported plant species have been used for the manufacture of value added formulations being exported.

Import

- Import of seeds of *A. malaccensis* for sowing and planting purpose is allowed, subject to a permit of import granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order 1989.
- Import of seeds for consumption or other purposes is permitted against a licence or in accordance with a Public Notice in this behalf.
- Import of seeds for sowing can be made by the Indian Council of Agricultural Research, Agricultural Universities, Botanical and Horticulture Departments of other Universities and State Governments, without a licence. Such import shall be subject to such conditions as may be specified by the Ministry of Agriculture, Government of India from time to time.

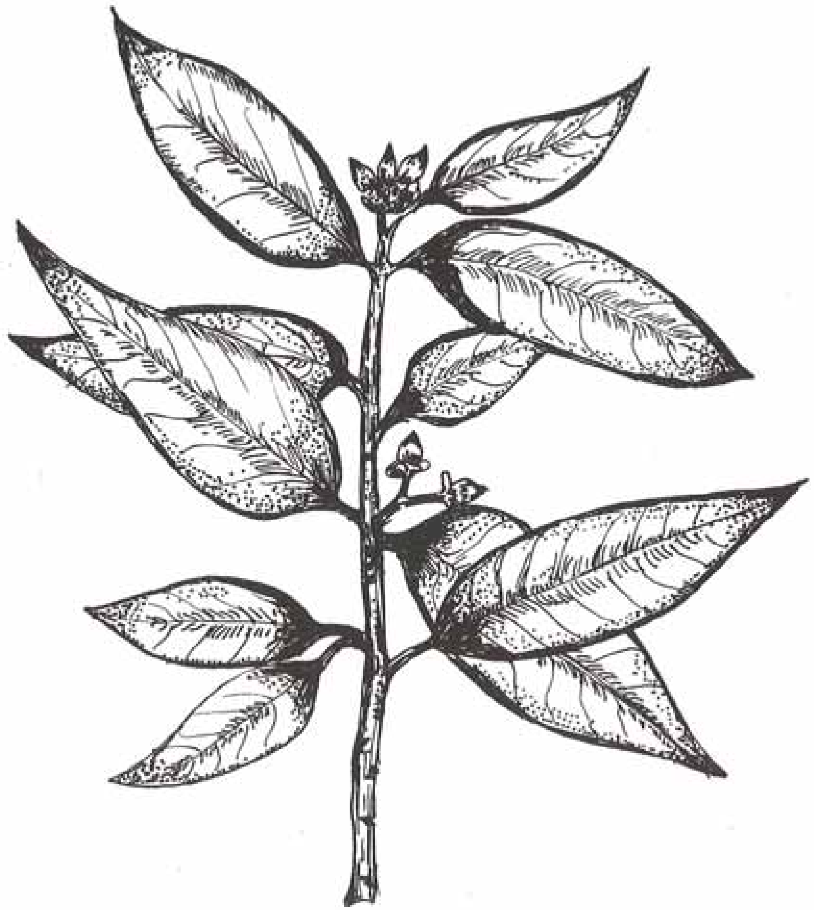

Aquilaria malaccensis
एक्यूलैरिया मैलाकैंसिस

Aquilaria malaccensis
एक्यूलैरिया मैलाकैंसिस

2. एक्यूलैरिया मैलाकैंसिस

परिवार थाईमीलियासी

वानस्पतिक नाम *ऐक्यूलैरिया मैलाकैंसिस लाम.*

पर्यायवाची नाम *एक्यूलैरिया अगलोचा रॉक्स्ब.*

सामान्य नाम अगरवुड, एलो वुड, ईगल वुड

प्रादेशिक नाम

असमिया - *सरि*
बांग्ला - *अगरू*
गुजराती - *अगर*
हिंदी - *अगर*
तमिल - *अगेल्लीचंदनम*
तेलुगू - *अगरू, कृष्णअगरू*
खासी - *डिएंग अगर*

व्यापारिक नाम अगर, अगरू

विस्तार

इसका उत्तर पूर्वी भारत में व्यापक विस्तार है, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश के जंगलों,असम के पर्वतीय क्षेत्रों, मणिपुर,मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा में।

औषधीय इस्तेमाल

अगरवुड का इस्तेमाल डायरिया, पेचिश, गाउट, गठिया और दर्मे के इलाज के लिए किया जाता है। कई चर्म रोगों में इसका इस्तेमाल लेप की तरह किया जाता है। आसवन के बाद अगर लकड़ी से एक तेल निकलता है जिसे अगर तेल कहा जाता है।

व्यापार के लिए इस्तेमाल

लकड़ी, टुकड़े, तेल और मिश्रण

कच्ची दवा का स्वरूप

संक्रमित पेड़ों के तनों की लकड़ी। अगरवुड की चार श्रेणियां हैं।

- ग्रेड I या काली या सच्ची अगर : इस श्रेणी में फफूंद की गहराई बहुत अधिक होती है और लकड़ी काले पत्थर जैसी होती है। यह इतनी भारी होती है कि पानी में डूब जाती है और इसमें तेल की मात्रा सबसे अधिक होती है।
- ग्रेड II या *बानटंग* : यह बिना किसी काले असर के भूरे रंग का होता है।
- ग्रेड III या *भूटा या फूटा* : इस श्रेणी का अगर भी भूरे रंग का होता है लेकिन इसमें 50 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा लकड़ी पीले रंग की होती है।
- ग्रेड IV या *धुम* : यह अगर आमतौर पर पीला होता और इसमें भूरी या काली धारियां छितरी होती हैं।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण

- साइटिस के परिशिष्ट II में
- भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की निर्यात की नकारात्मक सूची में शामिल अधिसूचना नंबर 24 (आर.ई-98)/1997-2002 के तहत।

एक्यूलैरिया मैलाकैंसिस

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्वीकृति प्रकार

साइटिस

निम्न का निर्यात और आयात स्वीकृत है

(क) बीज, बीजाणु और पराग (पराग कण समेत), और

(ख) अनुसंधानशाला से प्राप्त किए गए ठोस या तरल शक्ल में पौधे या टिश्यू कल्चर जिन्हें जीवाणुहीन बक्सों में एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया हो।

निर्यात और आयात नीति (भारत सरकार) नियंत्रण

निर्यात

- मिश्रण यानी ऐसे उत्पाद जिसमें एक्यूलैरिया मैलाकेंसिस के हिस्से/रस केवल न पहचाने जाने योग्य और पृथक न किए जाने की शक्ल में निर्यात किए जा सकते हैं।
- उगाई गई किस्मों के पौधों और पौधों के हिस्सों का निर्यात अधिक त क्षेत्रीय उपनिदेशक (वन्य जीव) या मुख्य वन संरक्षक या संबंधित राज्य के संभागिय वन अधिकारी की ओर से जारी, खेती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत है। निर्यात के लिए साइटिस परमिट की आवश्यकता है।
- बीजों का निर्यात तभी स्वीकृत है जबकि निर्यातक एक शपथपत्र द्वारा घोषणा करे कि निर्यात किया जा रहा बीज ब्रीडर या फाउंडेशन या जंगली किस्म का बीज नहीं है।

पुनर्निर्यात

- पौधों और पौधों के हिस्सों की आयाति प्रजातियों से बने गुण संपन्न मिश्रणों के मुक्त निर्यात की अनुमति है। इसके लिए निर्यात समय सीमा शुल्क अधिकारी के सामने एक शपथपत्र पेश करना होगा कि निर्यात किए जा रहे गुण संपन्न मिश्रण के निर्यात के लिए केवल आयातित पौधों की प्रजाति का इस्तेमाल किया गया है।

आयात

- *एक्यूलैरिया मैलाकैंसिस* प्रजाति के बीजों का आयात बुवाई और उगाने उदेश्यों से स्वीकृत है।
  इसके लिए पौधे, फल और बीज (भारत में आयात का नियंत्रण) आदेश, 1989 के तहत आयात का परमिट लेना होगा।
- उपभोग या किसी दूसरे मकसद के लिए बीजों का आयात करने के लिए लाइसेंस या इस संबंध में किसी सार्वजनिक नोटिस के तहत।
- बुवाई के लिए बीजों का आयात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, दूसरे विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के वानस्पतिक व बागवानी विभाग बिना किसी लाइसेंस के कर सकते हैं। ऐसा आयात समय-समय पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से जारी की गई शर्तों के अधीन होगा।

3. DICKSONIACEAE

Though the entire family has been included, the species known to be significantly in international trade is *Cibotium barometz*.

Cibotium barometz

Family	Dicksoniaceae
Botanical Name	*Cibotium barometz* (L.) J. Smith
Common Name	Tree Fern, Golden Moss
Vernacular Name	
Assamese - *Gach Dhekia*	Khasi - *Tyrkhang*

Distribution

Mishmi hills in Arunachal Pradesh, Upper Assam, Khasi Hills of Meghalaya.

Medicinal Use

Rhizome is used as a vermifuge, tonic made out of the root is given for lumbago. The long silky hair have the property of causing rapid coagulation of blood and for arresting haemorrhages from capillaries.

Form in Which Traded

Rhizome, root, long silky hair, stem and formulations

Description of Raw Drug

The long silky hair of the fern which is used as a medicine, is yellowish or brownish in colour. Raw drug comprises irregular pieces, 10-30 cm long, 2-10 cm in diameter. It is hard and not easy to break. The surface is deep brown, with remains of the golden yellow velvety hair covering, surrounding the base of the fronds with several reddish brown leaf stalks at the top, and thin, black roots at the bottom. It is odourless and tastes somewhat bitter.

International Trade Regulation

- Appendix II of CITES
- Included in the Negative List of Exports - Plants vide Notification No. 24 (RE -98)/1997-2002), Ministry of Commerce, Government of India.

Dicksoniaceae

Form in which International Trade is Permitted

CITES

The following are allowed for export and import

a) Seeds, spores and pollen (including pollinia); and

b) Seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers

Export and Import Policy (Government of India) Regulation

Export

- Formulations i.e. products which may contain portions/extracts of *Cyatheaceae** but only in unrecognisable and physically inseparable form, are allowed to be exported.
- Plants and plant portion, derivatives and extracts obtained from cultivated sources are allowed to be exported subject to the production of Certificate of Cultivation from the Regional Deputy Director (Wildlife), or the Chief Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer of the State concerned from where these plants and plant portions have been procured. Besides, a CITES Permit for export will also be required.
- Export of seeds is permitted subject to a declaration in the form of an affidavit from the exporter that the seed being exported is not Breeder or Foundation or Wild variety seed.

Re-Export

- The value added formulations, made out of imported species of plants and plant portions are allowed to be exported freely without any restriction, subject to furnishing of an affidavit to the Customs authorities at the time of export that only the imported plant species have been used for the manufacture of value added formulations being exported.

Import

- Import of seeds for sowing and planting purpose is allowed, subject to a permit of import granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order 1989.
- Import of seeds for consumption or other purposes is permitted against a licence or in accordance with Public Notices issued in this behalf.
- Import of seeds for sowing can be made by the Indian Council of Agricultural Research, Agricultural Universities, Botanical and Horticulture Departments of other Universities and State Governments, without a licence. Such import shall be subject to such conditions as may be specified by the Ministry of Agriculture, Government of India from time to time.

* Dicksoniaceae, tree ferns are presumed to be included in Cyatheaceae.

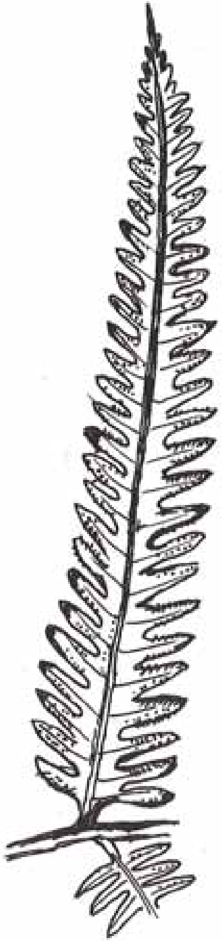

Cibotium barometz

सीबोटियम बैरोमेट्स

Cibotium barometz
सीबोटियम बैरोमेट्स

3. डिकसोनिऐसी

हालांकि इस पूरे परिवार को शामिल किया गया है लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण प्रजाति *सीबोटियम बैरोमेट्स* है।

सीबोटियम बैरोमेट्स

परिवार डिकसोनिऐसी

वानस्पतिक नाम *सीबोटियम बैरोमेट्स (एल.)* जे. स्मिथ

सामान्य नाम ट्री फर्न, गोल्डन मॉस

प्रादेशिक नाम

असमिया - *गाछ देखिया* खासी - *टायेरखंग*

विस्तार

अरुणाचल प्रदेश की मिसमी पहाड़ियां, ऊपरी असम और मेघालय की खासी पहाड़ियां।

औषधीय इस्तेमाल

इसके स्कंद का इस्तेमाल कृमिहारी के तौर पर किया जाता है और इसकी जड़ों से बनने वाला टानिक कमर के दर्द के निवारक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके लंबे रेशों में खून जल्द जमाने का गुण होता है और केशिका से होने वाले रक्तस्राव को रोकने में कारगर साबित होता है।

व्यापार में इस्तेमाल

स्कंद, जड़, लंबे रेशमी रेशे, तना और मिश्रण।

कच्ची दवा का स्वरूप

फर्न के लंबे रेशमी रेशों का इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जाता है। इनका स्वरूप पीला या भूरा रंग लिए होता है। कच्ची दवा में 10 से 30 सेंटीमीटर लंबे, 2 से 10 सेंटीमीटर की परिधि वाले अनियमित टुकड़े होते हैं। यह बहुत सख्त होता है और आसानी से टूटता नहीं है। इसकी सतह गहरी भूरी होती है जिसके पत्तों की ऊपरी सतह पर सुनहरे पीले मखमली रेशे होते हैं और निचली तरफ पतली व काली जड़े होती हैं। इसमें कोई गंध नहीं होती है और स्वाद थोड़ा कड़वा होता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण

- साइटिस के परिशिष्ट II में
- भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पौधों के निर्यात की नकारात्मक सूची में अधिसूचना नंबर 24 (आर ई 98)/1997 से 2002 में शामिल।

डिकसोनिऐसी

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्वीकृति प्रकार

साइटिस

निम्न का निर्यात और आयात स्वीकृत है –

(क) बीज, बीजाणु और पराग (पराग कण समेत) और

(ख) अनुसंधानशाला से प्राप्त किए गए ठोस या तरल शक्ल में पौधे या टिश्यू कल्चर जिन्हें जीवाणुहीन बक्सों में एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया हो।

निर्यात और आयात नीति (भारत सरकार) नियंत्रण

निर्यात

- मिश्रण यानी ऐसे उत्पाद जिसमें सॉयथिऐसी* के हिस्से/रस केवल न पहचाने जाने योग्य और पृथक न किए जाने की शक्ल में निर्यात किए जा सकते हैं।
- उगाई गई किस्मों के पौधों और पौधों के हिस्सों का निर्यात अधिकृत क्षेत्रीय उपनिदेशक (वन्यजीव) या मुख्य वन संरक्षक या संबंधित राज्य के संभागीय वन अधिकारी की ओर से जारी खेती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत है। निर्यात के लिए साइटिस परमिट की आवश्यकता है।
- बीजों का निर्यात तभी स्वीकृत है जबकि निर्यातक एक शपथपत्र द्वारा घोषणा करे कि निर्यात किया जा रहा बीज ब्रीडर या फाउंडेशन या जंगली किस्म का बीज नहीं है।

पुनर्निर्यात

पौधों और पौधों के हिस्सों की आयाति प्रजातियों से बने गुण संपन्न मिश्रणों के मुक्त निर्यात की अनुमति है। इसके लिए निर्यात समय सीमा शुल्क अधिकारी के सामने एक शपथपत्र पेश करना होगा कि निर्यात किए जा रहे गुण संपन्न मिश्रण के निर्यात के लिए केवल आयातित पौधों की प्रजाति का इस्तेमाल किया गया है।

आयात

- *सॉयथिऐसी* कुल के बीजों का आयात बुवाई और उगाने उद्देश्यों से स्वीकृत है। इसके लिए पौधे, फल और बीज (भारत में आयात का नियंत्रण) आदेश, 1989 के तहत आयात का परमिट लेना होगा।
- उपभोग या किसी दूसरे मकसद के लिए बीजों का आयात करने के लिए लाइसेंस या इस संबंध में किसी सार्वजनिक नोटिस के तहत।
- बुवाई के लिए बीजों का आयात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, दूसरे विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के वानस्पतिक व बागवानी विभाग बिना किसी लाइसेंस के कर सकते हैं। ऐसा आयात समय-समय पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से जारी की गई शर्तों के अधीन होगा।

* *डिकसोनिऐसी, ट्री फर्न, इसमें शामिल माने गये हैं।*

4. DIOSCOREA DELTOIDEA

Family	Dioscoreaceae
Botanical Name	*Dioscorea deltoidea* Wall. ex Kunth
Synonymous Name	*D. nepalensis* Sweet ex Bernardi
Common Name	Medicinal Yam

Vernacular Name

Kashmiri - *Kithi, Krish, Tarar, Kildiri, Kins,*

Garhwali - *Gun*

Punjabi -*Kinss, Kriss, Tar, Kitra*

Hindi - *Chingali Mangali*

Bengali - *Ban Tarul, Kukkar Tarul, Kham Alu,*

Khasi - *Phan Khlaw*

Trade Name	Dioscorea, Hati Paun, Kham Alu

Distribution

Found throughout the Himalayas from Kashmir to Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya, including the neighbouring countries of Nepal, China and Bhutan.

Medicinal Use

The leaves are febrifuge and are used to prepare steroidal drugs. The diosgenin present in tubers is used in antiflammatory, anabolic and antifertility medicines.

Form in Which Traded

Root and formulations

Description of Raw Drug

A cross section of the root shows a few layers of cork. The powder foams with water indicating the presence of saponins.

International Trade Regulation

- Appendix II of CITES
- Included in the Negative List of Exports-Plants vide Notification No. 24 (RE -98)/1997-2002), Ministry of Commerce, Government of India.

Dioscorea deltoidea

Form in which International Trade is Permitted

CITES

The following are allowed for export and import

a) Seeds, spores and pollen (including pollinia); and

b) Seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers.

Export and Import Policy (Government of India) Regulation

Export

- Formulations i.e. products which may contain portions/extracts of *D. deltoidea*, but only in unrecognisable and physically inseparable form, are allowed to be exported.

  Plants and Plant portion, derivatives and extracts obtained from cultivated sources are allowed to be exported subject to the production of Certificate of Cultivation from the Regional Deputy Director (Wildlife), or the Chief Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer of the State concerned from where these plants and plant portions have been procured. Besides, a CITES Permit for export will also be required.
- Export of seeds is permitted subject to a declaration in the form of an affidavit from the exporter that the seed being exported is not Breeder or Foundation or Wild variety seed.

Re-Export

- The value added formulations, made out of imported species of plants and plant portions are allowed to be exported freely without any restriction, subject to furnishing of an affidavit to the Customs authorities at the time of export that only the imported plant species have been used for the manufacture of value added formulations being exported.

Import

- Import of seeds of *D. deltoidea* for sowing and planting purpose is allowed, subject to a permit of import granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order 1989.
- Import of seeds of *D. deltoidea* for consumption or other purposes is permitted against a licence or in accordance with Public Notices issued in this behalf.
- Import of seeds for sowing can be made by the Indian Council of Agricultural Research, Agricultural Universities, Botanical and Horticulture Departments of other Universities and State Governments, without a licence. Such import shall be subject to such conditions as may be specified by the Ministry of Agriculture, Government of India from time to time.

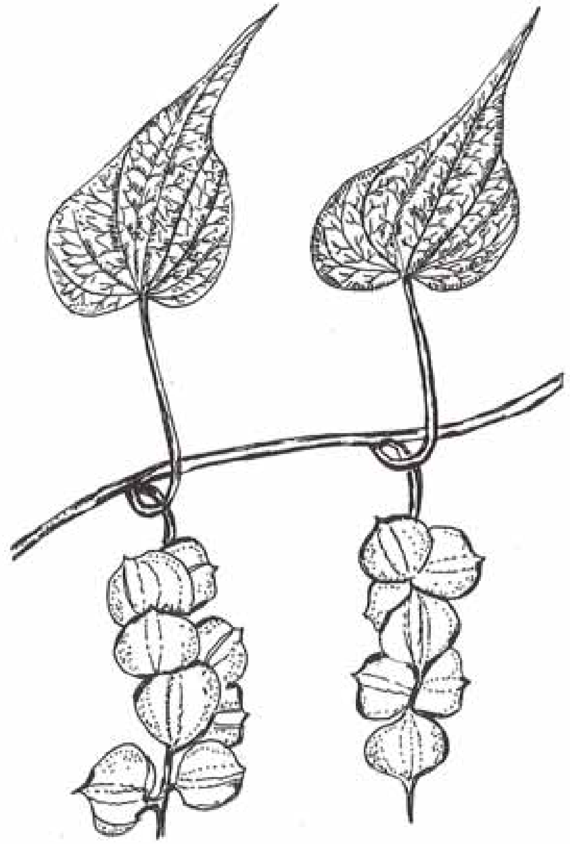

Dioscorea deltoidea
डायोसकोरिया डेलटॉइडिया

44

Dioscorea deltoidea
डायोसकोरिया डेलटॉइडिया

4. डायोसकोरिया डेलटॉइडिया

परिवार	डायोसकोरियासी
वानस्पतिक नाम	*डायोसकोरिया डेलटॉइडिया* वाल. एक्स कुंठ
पर्यायवाची नाम	*डी. नेपालेंसिस* स्वीट एक्स बर्नाड
सामान्य नाम	औषधीय याम

प्रादेशिक नाम

कश्मीरी - *किथी, कृषतरार, किलदीरी, किन्स*

गढ़वाली - *गुन*   पंजाबी - *किनस, कृष, तार, किटरा*

हिंदी - *विंगाली मंगली*

बांग्ला - बांन तरुल, *कुकर तरुल, खाम आलू*

खासी - *फन ख्लाव*

व्यापारिक नाम	डायोसकोरिया, हाथी पांव, खाम आलू

विस्तार

यह पौधा समूचे हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और साथ ही पड़ोसी देशों नेपाल, चीन और भूटान के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है।

औषधीय इस्तेमाल

इसके पत्ते ज्वर नाशी होते हैं और स्टारायड वाली दवाओं के निर्माण में इनका इस्तेमाल होता है।

इसके स्कंद में उपस्थिति डायोसजेनिन सूजन मिटाने के लिए उपचयी और जनन क्षमता को कम करने वाली दवाओं में कारगर है।

व्यापार में इस्तेमाल

जड़ और मिश्रण

कच्ची दवा का स्वरूप

इसकी जड़ों में कॉर्क की परतें होती हैं। इसका चूरा पानी में मिलकर झाग बनाता है। इससे इसमें सेपोनिन की मौजूदगी का संकेत मिलता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण

- साइटिस के परिशिष्ट II में
- भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पौधों के निर्यात की नकारात्मक सूची में शामिल, अधिसूचना नंबर 24 (आर ई 98)/1997 से 2002 के तहत।

डायोसकोरिया डेलटॉइडिया

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्वीकृति प्रकार

साइटिस

निम्न का निर्यात और आयात स्वीकृत है –

(क) बीज, बीजाणु और पराग (पराग कण समेत) और

(ख) अनुसंधानशाला से प्राप्त किए गए ठोस या तरल शक्ल में पौधे या टिश्यू कल्चर,जिन्हें जीवाणुहीन बक्सों में एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया हो।

निर्यात और आयात नीति (भारत सरकार) नियंत्रण

निर्यात

- मिश्रण, यानी ऐसे उत्पाद जिसमें *डायोसकोरिया डेलटॉइडिया* प्रजाति के हिस्से/रस केवल न पहचाने जाने योग्य और पृथक न किए जाने की शक्ल में निर्यात किए जा सकते हैं।
- उगाई गई किस्मों के पौधों और पौधों के हिस्सों का निर्यात अधिकृत क्षेत्रीय उपनिदेशक (वन्यजीव) या मुख्य वन संरक्षक या संबंधित राज्य के संभागीय वन अधिकारी की ओर से जारी खेती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत है। निर्यात के लिए साइटिस परमिट की आवश्यकता है।
- बीजों का निर्यात तभी स्वीकृत है जबकि निर्यातक एक शपथपत्र द्वारा घोषणा करे कि निर्यात किया जा रहा बीज ब्रीडर या फाउंडेशन या जंगली किस्म का बीज नहीं है।

पुनर्निर्यात

पौधों और पौधों के हिस्सों की आयाति प्रजातियों से बने गुण संपन्न मिश्रणों के मुक्त निर्यात की अनुमति है। इसके लिए निर्यात समय सीमा शुल्क अधिकारी के सामने एक शपथपत्र पेश करना होगा कि निर्यात किए जा रहे गुण संपन्न मिश्रण के निर्यात के लिए केवल आयातित पौधों की प्रजाति का इस्तेमाल किया गया है।

आयात

- *डायोसकोरिया डेलटॉइडिया* प्रजाति के बीजों का आयात बुवाई और उगाने उदेश्यों से स्वीकृत है। इसके लिए पौधे,फल और बीज (भारत में आयात का नियंत्रण) आदेश, 1989 के तहत आयात का परमिट लेना होगा।
- उपभोग या किसी दूसरे मकसद के लिए बीजों का आयात करने के लिए लाइसेंस या इस संबंध में किसी सार्वजनिक नोटिस के तहत।
- बुवाई के लिए बीजों का आयात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, दूसरे विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के वानस्पतिक व बागवानी विभाग बिना किसी लाइसेंस के कर सकते हैं। ऐसा आयात समय-समय पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से जारी की गई शर्तों के अधीन होगा।

5. EUPHORBIA

The entire Euphorbia genus has been included in Appendix II of CITES. Some species used commonly for medicinal purposes are as follows:

E. antiquorum Linn

Family Euphorbiaceae

Common Name Triangular Spurge

Vernacular Name

Bengali - *Narsij* Malayalam - *Chaturkalli*
Marathi - *Tridhari,* Gujarati -*Tandhari*
Tamil - *Chadurakkali* Konkan - *Nivali*
Telegu - *Bommajemudu*
Sanskrit - *Vajratundi, Vajra-Kantaka*

Form in Which Traded
Juice from the stem, root, root bark and formulations

Medicinal Use
The juice is purgative, emetic, alterative, stomachic, rubefacient and vasicant

E. hirta Linn

Synonymous Name *E. pilulifera* Linn

Vernacular Name

Bengali - *Baro-Kheruie* Marathi - *Nayet*
Hindi – *Dudhi* Malayalam - *Nelapalai*
Sanskrit - *Amanpatchaiarisi*
Tamil - *Patchaiyariss*

Distribution
Found throughout the hotter parts of India.

Form in Which Traded
Whole plant and formulations

Medicinal Use
Juice of plant is used in dysentery and colic. Decoction of plants is beneficial in bronchial affections and asthma. Latex of plants is used as application for warts.

E. lathyrus Linn

Vernacular Name

Bengali - *Burg Sadab* Punjab - *Sadab*

Distribution
Found in the hotter parts of India.

Form in Which Traded
Leaves, seeds and formulations

E. *royleana* Boiss

Vernacular Name

Hindi and Bengali - *Thor, Shakarpilan*
Punjabi - *Dand- Athor.*

Distribution
Found on the outer slopes of the Himalayas chiefly at 1,000 to 1,650 m.

Form in Which Traded
Milky juice, entire plant and formulations

Medicinal Use
Milky juice is antihelmintic and cathartic

E. tirucalli Linn

Common Name Milk hedge

Vernacular Name

Bengali - *Lankasij* Gujarati - *Thora danadalio*
Sanskrit - *Dugdhika, Trikantaka*

Distribution
Native to America, but grows freely in all parts of India.

Medicinal Use
Milky juice in small doses is purgative but in large doses is acrid, counter irritant and ematic.

E. dracunculoides Lam

Vernacular Name

Hindi - *Chagulputputi* Telegu - *Tillakada*
Punjab - *Kangi, Richni*
Bengali - *Jychee, Chhagulpupti*

Distribution
Found throughout India in the plains and on low hills.

International Trade Regulation

- Appendix II of CITES
- Included in the Negative List of Exports-Plants vide Notification No. 24 (RE -98)/1997-2002), Ministry of Commerce, Government of India.

Euphorbia

Form in which International Trade is Permitted

CITES

The following are allowed for export and import

(a) Seeds, spores and pollen (including pollinia); and

(b) Seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers.

Export and Import Policy (Government of India) Regulation

Export

- Formulations i.e. products which may contain portions/extracts of *Euphorbia spp.* but only in unrecognisable and physically inseparable form, are allowed to be exported.
- Plants and plant portion, derivatives and extracts obtained from cultivated sources are allowed to be exported subject to the production of Certificate of Cultivation from the Regional Deputy Director (Wildlife), or the Chief Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer of the State concerned from where these plants and plant portions have been procured. Besides, a CITES Permit for export will also be required.
- Export of seeds is permitted subject to a declaration in the form of an affidavit from the exporter that the seed being exported is not Breeder or Foundation or Wild variety seed.

Re-Export

- The value added formulations, made out of imported species of plants and plant portions are allowed to be exported freely without any restriction, subject to furnishing of an affidavit to the Customs authorities at the time of export that only the imported plant species have been used for the manufacture of value added formulations being exported.

Import

- Import of seeds of *Euphorbia spp.* for sowing and planting purpose is allowed, subject to a permit of import granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order 1989.
- Import of seeds for consumption or other purposes is permitted against a licence or in accordance with Public Notices issued in this behalf.
- Import of seeds for sowing can be made by the Indian Council of Agricultural Research, Agricultural Universities, Botanical and Horticulture Departments of other Universities and State Governments, without a licence. Such import shall be subject to such conditions as may be specified by the Ministry of Agriculture, Government of India from time to time.

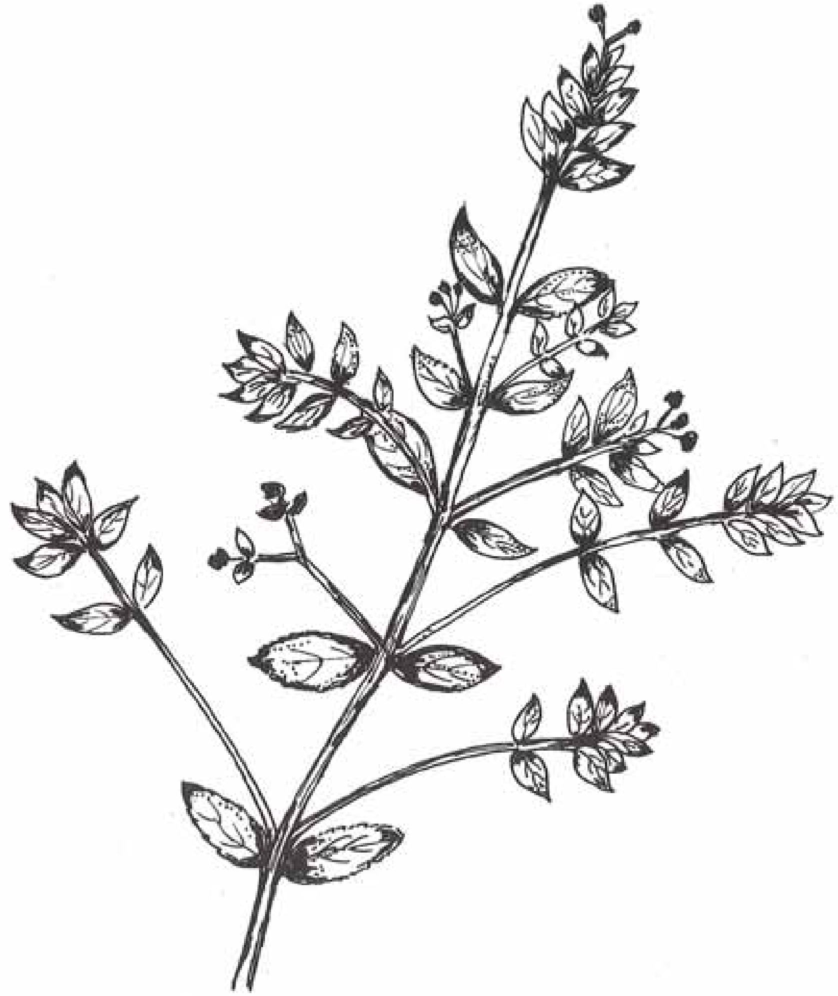

Euphorbia hirta

यूफोरबिया हिरता

Euphorbia royleana
यूफोरबिया रॉयलीना

5. यूफोरबिया

संपूर्ण यूफोरबिया कुल साइटिस के परिशिष्ट II में शामिल किया गया है। औषधीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली इसकी कुछ प्रचलित प्रजातियां निम्न है:-

ई. एंटीकोरम लिन

परिवार यूफोरबियासी

सामान्य नाम तिकोना स्पर्ज

प्रादेशिक नाम

बांग्ला - *नरसिज* मलयालम - *चतुरकल्ली*
मराठी - *त्रिधारी* गुजराती - *तनधारी*
तमिल - *चदुराकल्ली* तेलुगू - *बोम्बाजेमुडु*
कोंकण - *निवाली* संस्कृत - *वज्रतुंडी, वज्रकंटक*

व्यापार में इस्तेमाल

तना, जड़ और जड़ों की छाल के रस और मिश्रण की शक्ल में।

औषधीय इस्तेमाल

इसका रस शोधक, वमनकारी, वैकल्पिक पेट में दर्द कराने वाला, जलन करने वाला और वेसीकेंट होता।

ई. हिरता लिन

पर्यायवाची नाम *ई.पिलूलीफेरा लिन*

प्रादेशिक नाम

बांग्ला - *बोड़ो-खेरुई* मराठी - *नायेत*
हिंदी - *दुधि* संस्कृत - *अमनपतचैआरीरी,*
मलयालम - *नेलापलाई* तमिल - *पतचैयारिस*

विस्तार

यह भारत के गर्म हिस्सों के स्थानों पर पाया जाता है।

व्यापार में इस्तेमाल

पूरा पौधा और मिश्रण

औषधीय इस्तेमाल

इस पौधे के रस का इस्तेमाल पेचिश और उदरशूल में किया जाता है। सांस के रोगों और दमे में इस पौधे का रस लाभकारी है। इस पौधे के रस का इस्तेमाल मस्सों पर लगाने के लिए किया जाता है।

ई. लैथीरस लिन

प्रादेशिक नाम बांग्ला - *बुर्ग सदब,* पंजाबी - *सदब*

विस्तार

भारत के गर्म हिस्सों में पाया जाता है।

व्यापार में इस्तेमाल

पत्ते, बीज और मिश्रण

ई. रॉयलीना बॉइस

प्रादेशिक नाम

हिंदी और बांग्ला - *ठोर शकरपिलन*
पंजाबी - *दंद-अथोर*

विस्तार

हिमालय की बाहरी ढलानों पर 1000 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है।

व्यापार में इस्तेमाल

दूध भरे रस, संपूर्ण पौधे और मिश्रण की शक्ल में।

औषधीय इस्तेमाल

इसका दूध भरा रस कृमिहारी और दस्तावर होता है।

ई. टरूकली लिन

सामान्य नाम मिल्क हेज

प्रादेशिक नाम

बांग्ला - *लंकासिज* गुजराती - *तोरा डंडाडालियो,*
संस्कृत - *दूधिका, त्रिकंटका*

विस्तार

मूलतः अमेरिका का पौधा। भारत के सभी हिस्सों में अपने से उगता है।

औषधीय इस्तेमाल

अल्प मात्रा में इसका सेवन करने से इसका दूधिया रस शोधक है पर ज्यादा मात्रा में लेने से कड़वा, प्रतिजलनकारी और वमनकारी है।

ई. ड्रैकनकुलॉइडिस लाम

प्रादेशिक नाम

हिंदी - *चगुलपुटपुटी* बांग्ला - *जायची, छगुलपुपटी,*
तेलुगू - *तिल्लाकाडा* पंजाबी - *कांगी और रिजनी*

विस्तार

भारत में मैदानी इलाकों और निचली पहाड़ी क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण

- साइटिस के परिशिष्ट II में
- भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पौधों के निर्यात की नकारात्मक सूची में अधिसूचना नंबर 24 (आर ई 98)/1997 से 2002, में शामिल।

यूफोरबिया

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्वीकृति प्रकार

साइटिस

निम्न का निर्यात और आयात स्वीकृत है -

(क) बीज, बीजाणु और पराग (पराग कण समेत) और

(ख) अनुसंधानशाला से प्राप्त किए गए ठोस या तरल शक्ल में पौधे या टिश्यू कल्चर, जिन्हें जीवाणुहीन बक्सों में एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया हो।

निर्यात और आयात नीति (भारत सरकार) नियंत्रण

निर्यात

- मिश्रण यानी ऐसे उत्पाद जिसमें *यूफोरबिया* के हिस्से/रस केवल न पहचाने जाने योग्य और पृथक न किए जाने की शक्ल में निर्यात किए जा सकते हैं।
- उगाई गई किस्मों के पौधों और पौधों के हिस्सों का निर्यात अधिकृत क्षेत्रीय उपनिदेशक(वन्यजीव) या मुख्य वन संरक्षक या संबंधित राज्य के संभागीय वन अधिकारी की ओर से जारी खेती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत है। निर्यात के लिए साइटिस परमिट की आवश्यकता है।
- बीजों का निर्यात तभी स्वीकृत है जबकि निर्यातक एक शपथपत्र द्वारा घोषणा करे कि निर्यात किया जा रहा बीज ब्रीडर या फाउंडेशन या जंगली किस्म का बीज नहीं है।

पुनर्निर्यात

- पौधों और पौधों के हिस्सों की आयाति प्रजातियों से बने गुण संपन्न मिश्रणों के मुक्त निर्यात की अनुमति है। इसके निर्यात के समय सीमा शुल्क अधिकारी के सामने एक शपथपत्र पेश करना होगा कि निर्यात किए जा रहे गुण संपन्न मिश्रण के निर्यात के लिए केवल आयातित पौधों की प्रजाति का इस्तेमाल किया गया है।

आयात

- *यूफोरबिया* के बीजों का आयात बुवाई और उगाने उद्देश्यों से स्वीकृत है। इसके लिए पौधे, फल और बीज (भारत में आयात का नियंत्रण) आदेश, 1989 के तहत आयात का परमिट लेना होगा।
- उपभोग या किसी दूसरे मकसद के लिए बीजों का आयात करने के लिए लाइसेंस या इस संबंध में किसी सार्वजनिक नोटिस के तहत।
- बुवाई के लिए बीजों का आयात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, दूसरे विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के वानस्पतिक व बागवानी विभाग बिना किसी लाइसेंस के कर सकते हैं। ऐसा आयात समय-समय पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से जारी की गई शर्तों के अधीन होगा।

6. NARDOSTACHYS GRANDIFLORA

Family Valerianaceae

Common Name Jatamansi, Spikenard

Vernacular Name

Sanskrit - *Bhootjataa, Tapasvani, Jatilaa*

Bengali – *Jataamaash*

Hindi - *Baalchar*

Kannad - *Jetaamavasha*

Tamil - *Jataamaashi*

Trade Name Jatamansi, Baalchar

Distribution

Found in the Himalayas at 3,500 to 5,000 m. Extending eastward from Jammu and Kashmir to Sikkim, Nepal, China and Bhutan.

Medicinal Use

It is used in the treatment of epilepsy, hysteria, convulsion, asthma, leprosy, dry cough, skin diseases, intermittent fever, ulcers, colic, indigestion, mental disorder and constipation.

Form in Which Traded

Root, oil and formulations

Description of Raw Drug

The rhizome are 2.5 to 8 cm long and upto 1 cm thick, having a dark grey colour. It is densely covered with silky reddish brown fibres, which are matted together. A transversely cut portion shows a reddish brown surface and a prominent ring surrounding a porous wood.It has short and clear fractures exposing reddish brown uneven surface. It has a strong odour, taste is slightly bitter and sour.

International Trade Regulation

- Appendix II of CITES
- Included in the Negative List of Exports-Plants vide Notification No. 24 (RE -98)/1997-2002), Ministry of Commerce, Government of India.

Nardostachys grandiflora

Form in which International Trade is Permitted

CITES

Only roots and readily recognisable parts of *N. grandiflora* come under the purview of CITES and excludes all other form in which the plant is traded.

Export and Import Policy (Government of India) Regulation

Export

- Formulations i.e. products which may contain portions/extracts, but only in unrecognisable and physically inseparable form, are allowed to be exported.
- Plants and Plant portion, derivatives and extracts obtained from cultivated sources are allowed to be exported subject to the production of Certificate of Cultivation from the Regional Deputy Director (Wildlife), or the Chief Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer of the State concerned from where these plants and plant portions have been procured. Besides, a CITES Permit for export will also be required.
- Export of seeds is permitted subject to a declaration in the form of an affidavit from the exporter that the seed being exported is not Breeder or Foundation or Wild variety seed

Re-Export

- The value added formulations, made out of imported species of plants and plant portions are allowed to be exported freely without any restriction, subject to furnishing of an affidavit to the Customs authorities at the time of export that only the imported plan species have been used for the manufacture of value added formulations being exported.

Import

- Import of seeds of *N. grandiflora* for sowing and planting purpose is allowed, subject to a permit of import granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order 1989.
- Import of seeds for consumption or other purposes is permitted against a licence or in accordance with Public Notices issued in this behalf.
- Import of seeds for sowing can be made by the Indian Council of Agricultural Research, Agricultural Universities, Botanical and Horticulture Departments of other Universities and State Governments, without a licence. Such import shall be subject to such conditions as may be specified by the Ministry of Agriculture, Government of India from time to time.

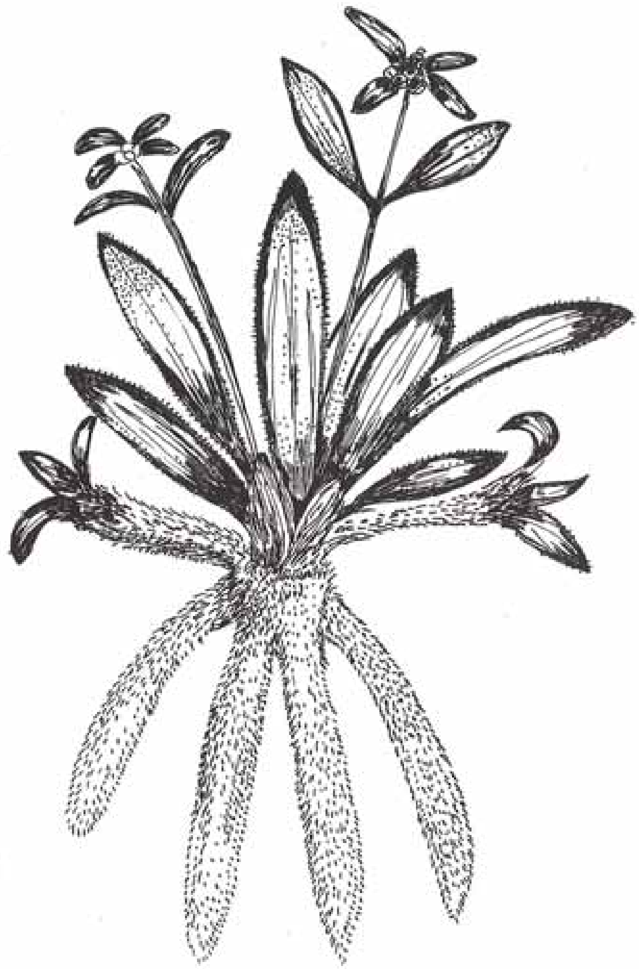

Nardostachys grandiflora

नार्डोस्टाचिस ग्रेंडीफ्लोरा

52

Nardostachys grandiflora
नार्डोस्टाचिस ग्रेंडीफ्लोरा

6. नार्डोस्टाचिस ग्रेंडीफ्लोरा

परिवार वलैरिनिऐसी

सामान्य नाम जटामानसी, स्पाईकर्नाड

प्रादेशिक नाम

संस्कृत - *भूतजटा, तपस्वनी, जटीला*
बांग्ला - *जटामास* हिंदी - *बालचर*
कन्नड - *जेतामवासा* तमिल - *जटामासी*

व्यापारिक नाम जटामानसी, बालचर

विस्तार

यह पौधा हिमालय में 3,500 से 5,000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। वहां से जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, नेपाल, चीन और भूटान की ओर इसका विस्तार है।

औषधीय इस्तेमाल

इसका इस्तेमाल मिर्गी, हिसटीरिया, दौरे, दमा, कुष्ट, सूखी खांसी, चर्म रोगों, लगातार बुखार, अल्सर, उदरशूल, अपच, मानसिक बीमारियों और कब्ज के इलाज में किया जाता है।

व्यापार में इस्तेमाल

जड़, तेल और मिश्रण

कच्ची दवा का स्वरूप

इसके प्रकंद 2.5 से 8 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। इनका रंग गहरा भूरा होता है। यह आपस में जुड़े हुए रेशमी, लाल भूरे रेशम से पूरी तरह से ढ़का होता है। इसे तिरछा काटने पर लाल-भूरा धरातल दिखाई देता है और छेददार लकड़ी के चारों तरफ छल्ला सा बना होता है। इसमें छोटे और स्पष्ट कटाव होते हैं जिसमें से लाल-भूरा खुदरा धरातल दिखाई देता है। इसकी गंध तेज होती है और स्वाद कुछ कड़वा और खट्टा होता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण

- साइटिस के परिशिष्ट II में
- भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पौधों के निर्यात की नकारात्मक सूची में शामिल, अधिसूचना नंबर 24 (आर ई 98)/1997 से 2002, के तहत।

नार्डोस्टाचिस ग्रेंडीफ्लोरा

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्वीकृति प्रकार

साइटिस

नार्डोस्टाचिस ग्रेंडीफ्लोरा की केवल जड़े और आसानी से पहचाने वाले हिस्से साइटिस के तहत आते हैं। अन्य प्रकार से किया गया व्यापार साइटिस के तहत नहीं आता।

निर्यात और आयात नीति (भारत सरकार) नियंत्रण

निर्यात

- मिश्रण, यानी ऐसे उत्पाद जिसमें *नार्डोस्टाचिस ग्रेंडीफ्लोरा* प्रजाति के हिस्से/रस केवल न पहचाने जाने योग्य और पृथक न किए जाने की शक्ल में निर्यात किए जा सकते हैं।
- उगाई गई किस्मों के पौधों और पौधों के हिस्सो का निर्यात अधिकृत क्षेत्रीय उपनिदेशक (वन्यजीव) या मुख्य वन संरक्षक या संबंधित राज्य के संभागीय वन अधिकारी की ओर से जारी खेती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत है। निर्यात के लिए साइटिस परमिट की आवश्यकता है।
- बीजों का निर्यात तभी स्वीकृत है जबकि निर्यातक एक शपथपत्र द्वारा घोषणा करे कि निर्यात किया जा रहा बीज ब्रीडर या फाउंडेशन या जंगली किस्म का बीज नहीं है।

पुनर्निर्यात

- पौधों और पौधों के हिस्सों की आयाति प्रजातियों से बने गुण संपन्न मिश्रणों के मुक्त निर्यात की अनुमति है। इसके लिए निर्यात समय सीमा शुल्क अधिकारी के सामने एक शपथपत्र पेश करना होगा कि निर्यात किए जा रहे गुण संपन्न मिश्रण के निर्यात के लिए केवल आयातित पौधों की प्रजाति का इस्तेमाल किया गया है।

आयात

- *नार्डोस्टाचिस ग्रेंडीफ्लोरा* प्रजाति के बीजों का आयात बुवाई और उगाने उद्देश्यों से स्वीकृत है। इसके लिए पौधे,फल और बीज (भारत में आयात का नियंत्रण) आदेश, 1989 के तहत आयात का परमिट लेना होगा।
- उपभोग या किसी दूसरे मकसद के लिए बीजों का आयात करने के लिए लाइसेंस या इस संबंध में किसी सार्वजनिक नोटिस के तहत।
- बुवाई के लिए बीजों का आयात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, दूसरे विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के वानस्पतिक व बागवानी विभाग बिना किसी लाइसेंस के कर सकते हैं। ऐसा आयात समय-समय पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से जारी की गई शर्तों के अधीन होगा।

7. PICRORHIZA KURROOA

Family Scrophulariaceae

Botanical Name *Picrorhiza kurrooa* Royale ex Benth.

Common Name Kutki

Vernacular Name

Sanskrit - *Chakraangi, Tiktaa, Matsyapittaa*
Bengali - *Kataki* Marathi - *Kutaki*
Tamil - *Katukarogani*

Trade Name Kutki, Karu

Distribution

Found in the Himalayas from Kashmir to Sikkim including Nepal and Bhutan at altitude of 2700-4500 m.

Medicinal Use

Used in formulations prescribed for indigestion, and respiratory, liver and spleen diseases.

Form in Which Traded

Root and formulations

Description of Raw Drug

The roots occur in pieces of 3.8 cm in length and 0.3-1.0 cm in diameter. These present a brownish grey corky appearance, are light in weight and occur in more or less cylindrical or slightly curved pieces. The roots terminate in a scaly leaf, bud or stem. A transversely cut portion shows a smooth dark brown surface with large creamish vascular bundles arranged in a prominent broken ring. The roots have short and clear fractures. It has a faint and disagreeable odour.

International Trade Regulation

- Appendix II of CITES
- Included in the Negative List of Exports-Plants vide Notification No. 24 (RE - 98)/ 1997-2002), Ministry of Commerce, Government of India.

Picrorhiza kurrooa

Form in which International Trade is Permitted

CITES

Only roots and readily recognisable parts of *P. kurrooa* come under the purview of CITES and excludes all other form in which the plant is traded.

Export and Import Policy (Government of India) Regulation

Export

- Formulations i.e. products which may contain portions/extracts of *P. kurrooa*, but only in unrecognisable and physically inseparable form, are allowed to be exported.
- Plants and Plant portion, derivatives and extracts obtained from cultivated sources are allowed to be exported subject to the production of Certificate of Cultivation from the Regional Deputy Director (Wildlife), or the Chief Conservator of Forests or the Divisiona Forest Officer of the State concerned from where these plants and plant portions have been procured. Besides, a CITES Permit for export will also be required.
- Export of seeds is permitted subject to a declaration in the form of an affidavit from the exporter that the seed being exported is not Breeder or Foundation or Wild variety seed.

Re-Export

- The value added formulations, made out of imported species of plants and plant portions are allowed to be exported freely without any restriction, subject to furnishing of an affidavit to the Customs authorities at the time of export that only the imported plant species have been used for the manufacture of value added formulations being exported.

Import

- Import of seeds of *P. kurrooa* for sowing and planting purpose is allowed, subject to a permit of import granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order 1989.
- Import of seeds for consumption or other purposes is permitted against a licence or in accordance with Public Notices issued in this behalf.
- Import of seeds for sowing can be made by the Indian Council of Agricultural Research, Agricultural Universities, Botanical and Horticulture Departments of other Universities and State Governments, without a licence. Such import shall be subject to such conditions as may be specified by the Ministry of Agriculture, Government of India from time to time.

Picrorhiza kurrooa
पिक्रोराईजा कुरुवा

56

Picrorhiza kurrooa
पिक्रोराईजा कुरुवा

7. पिक्रोराईजा कुरुवा

परिवार	स्क्रोफुलैरिऐसी
वानस्पतिक नाम	*पिकोराईजा कुरुवा रोयाल एक्स बेंथ.*
सामान्य नाम	कुटकी

प्रादेशिक नाम

संस्कृति - *चक्रांगी, तिकता, मत्स्यपित्ता*
बांग्ला - *कटकी* मराठी - *कुटकी*
तमिल - *कटुकरोगानी*

व्यापारिक नाम	कुटकी, कारू

विस्तार

यह हिमालय में कश्मीर से सिक्किम और साथ ही, नेपाल और भूटान में 2700 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है।

औषधीय इस्तेमाल

इसका इस्तेमाल अपच, श्वांस संबंधी बीमारी, यकृत के रोगों और तिल्ली के उपचार की दवाओं के निर्माण में किया जाता है।

व्यापार में इस्तेमाल

जड़ें और मिश्रण

कच्ची दवा का स्वरूप

इसकी जड़े 3.8 सेंटीमीटर टुकड़ों में बंटी होती हैं और इनका घेरा 0.3 से 1 सेंटीमीटर होता है। इनका आकार गांठनुमा होता है दो भूरी रंगत लिए होता है। वजन हल्का होता है और यह आमतौर पर सिलंडरनुमा या मुड़े हुए टुकड़ों की शक्ल लिए होती हैं। जड़ों के सिरे पर पत्ता या कली होता है। इसकी प्रकंद को तिरछा काटने पर समतल, गहरा भूरा धरातल दिखाई देता है जिसमें संवहनी बड़े दूधिया आकार टूटी-फूटी अंगूठी की शक्ल में बने होते हैं। इसकी जड़ों में छोटे और स्पष्ट कटाव होते हैं। इसमें हल्की और अप्रिय गंध होती है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण

- साइटिस के परिशिष्ट II में।
- भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पौधों के निर्यात की नकारात्मक सूची में शामिल, अधिसूचना नंबर 24 (आर ई 98)/1997 से 2002, के तहत।

प्रिक्रोराईजा कुरुवा

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्वीकृति प्रकार

साइटिस

प्रिक्रोराईजा कुरुवा की केवल जड़े और आसानी से पहचाने वाले हिस्से साइटिस के तहत आते हैं। अन्य प्रकार से किया गया व्यापार साइटिस के तहत नहीं आता।

निर्यात और आयात नीति (भारत सरकार) नियंत्रण

निर्यात

- मिश्रण, यानी ऐसे उत्पाद जिसमें *प्रिक्रोराईजा कुरुवा* के हिस्से/रस केवल न पहचाने जाने योग्य और पृथक न किए जाने की शक्ल में निर्यात किए जा सकते हैं।
- उगाई गई किस्मों के पौधों और पौधों के हिस्सों का निर्यात अधिकृत क्षेत्रीय उपनिदेशक (वन्यजीव) या मुख्य वन संरक्षक या संबंधित राज्य के संभागीय वन अधिकारी की ओर से जारी खेती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत है। निर्यात के लिए साइटिस परमिट की आवश्यकता है।
- बीजों का निर्यात तभी स्वीकृत है जबकि निर्यातक एक शपथपत्र द्वारा घोषणा करे कि निर्यात किया जा रहा बीज ब्रीडर या फाउंडेशन या जंगली किस्म का बीज नहीं है।

पुनर्निर्यात

- पौधों और पौधों के हिस्सों की आयाति प्रजातियों से बने गुण संपन्न मिश्रणों के मुक्त निर्यात की अनुमति है। इसके लिए निर्यात समय सीमा शुल्क अधिकारी के सामने एक शपथपत्र पेश करना होगा कि निर्यात किए जा रहे गुण संपन्न मिश्रण के निर्यात के लिए केवल आयातित पौधों की प्रजाति का इस्तेमाल किया गया है।

आयात

- *पिक्रोराईजा कुरुवा* प्रजाति के बीजों का आयात बुवाई और उगाने उद्देश्यों से स्वीकृत है। इसके लिए पौधे,फल और बीज (भारत में आयात का नियंत्रण) आदेश, 1989 के तहत आयात का परमिट लेना होगा।
- उपभोग या किसी दूसरे मकसद के लिए बीजों का आयात करने के लिए लाइसेंस या इस संबंध में किसी सार्वजनिक नोटिस के तहत।
- बुवाई के लिए बीजों का आयात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, दूसरे विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के वानस्पतिक व बागवानी विभाग बिना किसी लाइसेंस के कर सकते हैं। ऐसा आयात समय-समय पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से जारी की गई शर्तों के अधीन होगा।

8. PODOPHYLLUM HEXANDRUM

Family Berberidaceae

Botanical Name *Podophyllum hexandrum* Royle

Synonymous Name *P. emodi* Wall ex Hook. f. & Thoms.

Common Name Indian Podophyllum

Vernacular Name

Hindi - *Papri, Papra, Bhavanbakra, Bakrachimka, Banbaigan*

Bengali - *Papra*

Marathi - *Padwel, Patvel, Gulkari*

Kashmiri - *Banwangan*

Trade Name Bankakri, Papra, Podophyllum

Distribution

It is found in the ranges of inner Himalayas from Kashmir to Sikkim at altitudes of 3000-4200 m.

Medicinal Use

The roots are commonly used as a purgative and also in reducing fever. It has also acquired importance because of its possible cure of cancer.

Form in Which Traded

Rhizome, root and formulations

Description of Raw Drug

Rhizome is irregular twisted knotty, about 2-5 cm long and 1-2 cm thick, somewhat flattened dorsiventrally; upper surface is characterised by the presence of 3 or 4 cup shaped scars; colour is yellowish brown to earthy brown. Surface when transversely cut, appears smooth and is irregularly and circular in outline. It has a slight characteristic odour. The taste is somewhat bitter and acrid. The powder is intensely irritating to the eyes. Roots arise mainly from the enlarged portion of the rhizome and attain a length of about 7 cm and a thickness of 2.5 mm. Fracture of both rhizome and root is weak.

International Trade Regulation

- Appendix II of CITES
- Included in the Negative List of Exports-Plants vide Notification No. 24 (RE -98)/1997-2002), Ministry of Commerce, Government of India.

Podophyllum hexandrum

Form in which International Trade is Permitted

CITES

The following are allowed to be export and import

(a) Seeds and Pollen;

(b) Seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers; and

(c) Chemical derivatives

Export and Import Policy (Government of India) Regulation

Export

- Formulations i.e. products which may contain portions/extracts of *P. hexandrum* but only in unrecognisable and physically inseparable form, are allowed to be exported.
- Plants and plant portion, derivatives and extracts obtained from cultivated sources are allowed to be exported subject to the production of Certificate of Cultivation from the Regional Deputy Director (Wildlife), or the Chief Conservator of Forests or the Divisiona Forest Officer of the State concerned from where these plants and plant portions have been procured. Besides, a CITES Permit for export will also be required.
- Export of seeds is permitted subject to a declaration in the form of an affidavit from the exporter that the seed being exported is not Breeder or Foundation or Wild variety seed.

Re-Export

- The value added formulations, made out of imported species of plants and plant portions are allowed to be exported freely without any restriction, subject to furnishing of an affidavit to the Customs authorities at the time of export that only the imported plant species have been used for the manufacture of value added formulations being exported.

Import

- Import of seeds of sowing and planting purpose is allowed, subject to a permit of import granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order 1989.
- Import of seeds of *P. hexandrum* for consumption or other purposes is permitted against a licence or in accordance with Public Notices issued in this behalf.
- Import of seeds for sowing can be made by the Indian Council of Agricultural Research, Agricultural Universities, Botanical and Horticulture Departments of other Universities and State Governments, without a licence. Such import shall be subject to such conditions as may be specified by the Ministry of Agriculture, Government of India from time to time.

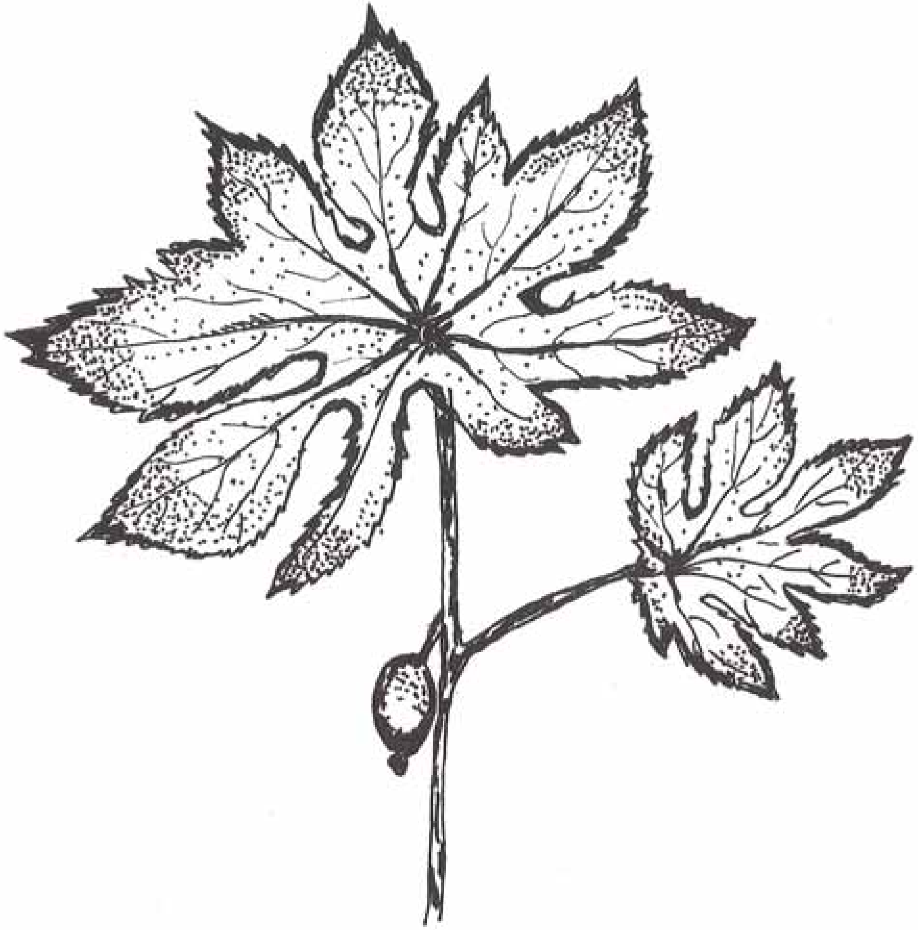

Podophyllum hexandrum

पोडोफिल्लम हेक्साँड्रम

Podophyllum hexandrum

पोडोफिल्लम हेक्सॉंड्रम

8. पोडोफिल्लम हेक्सॉंड्रम

परिवार	बेरबेरीडासी
वानस्पतिक नाम	*पोडोफिल्लम हैक्सॉंड्रम* रायल
पर्यायवाची नाम	*पी. ईमोडी* वॉल एक्स हुक.एफ. और थोम्स.
सामान्य नाम	भारतीय पोडोफिल्लम

प्रादेशिक नाम

हिंदी - *पपड़ी, पपड़ा, भवन, बकरा, बकरा, चिमका, बन बैंगन*

बांग्ला - *पपड़ा*

मराठी - *पाड़बेल, पट्‌टबेल, गुलकारी*

कश्मीरी - *बनवंगन*

व्यापारिक नाम	बन ककड़ी, पपड़ा, पोडोफिल्लम

विस्तार

यह हिमालय के भीतरी क्षेत्रों कश्मीर से लेकर सिक्किम में 3000 से 4200 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है।

औषधीय इस्तेमाल

शोधक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका सेवन बुखार कम करने में किया जाता है। कैंसर के संभावित इलाज के तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण हो गया है।

व्यापार में इस्तेमाल

प्रकंद, जड़ें और मिश्रण

कच्ची दवा का स्वरूप

इसके प्रकंद कहीं कम कहीं ज्यादा मुड़ी हुई गांठ की शक्ल में 2 से 5 सेंटीमीटर लंबे और 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। इसका पिछला हिस्सा कुछ-कुछ चपटा होता है। ऊपरी धरातल पर तीन या चार कपनुमा दाग होते हैं और रंग पीले भूरे से लेकर गहरा भूरा होता है। तिरछा काटे जाने पर धरातल समान लगता है और इसकी बाहरी रूप-रेखा अनियमित और घुमावदार होती है। इसमें हल्की सी गंध होती है और स्वाद कुछ-कुछ कड़वा और तीखा होता है। इसका चूरा आंखों में काफी जलन पैदा करता है। इसकी जड़ें प्रकंद के बढ़े हुए हिस्से में से उठती हैं और 7 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 मिलीमीटर चौड़ी होती है। प्रकंद और जड़ों के कटाव कमजोर होते हैं।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण

- साइटिस के परिशिष्ट II में
- भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पौधों के निर्यात की नकारात्मक सूची में शामिल, अधिसूचना नंबर 24 (आर ई 98)/1997 से 2002, के तहत।

पोडोफिल्लम हेक्सॉड्रम

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्वीकृति प्रकार

साइटिस

निम्न का निर्यात और आयात स्वीकृत है

(क) बीज और परागकण

(ख) अनुसंधानशाला से प्राप्त किए गए ठोस या तरल शक्ल में पौधे या टिश्यू कल्चर,जिन्हें जीवाणुहीन बक्सों में एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया हो और

(ग) रसायनिक उत्पाद

निर्यात और आयात नीति (भारत सरकार) नियंत्रण

निर्यात

- मिश्रण, यानी ऐसे उत्पाद जिसमें *पोडोफिल्लम हेक्सॉड्रम* के हिस्से/रस केवल न पहचाने जाने योग्य और पृथक न किए जाने की शक्ल में निर्यात किए जा सकते हैं।
- उगाई गई किस्मों के पौधों और पौधों के हिस्सों का निर्यात अधिकृत क्षेत्रीय उपनिदेशक (वन्यजीव) या मुख्य वन संरक्षक या संबंधित राज्य के संभागीय वन अधिकारी की ओर से जारी खेती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत है। निर्यात के लिए साइटिस परमिट की आवश्यकता है।
- बीजों का निर्यात तभी स्वीकृत है जबकि निर्यातक एक शपथपत्र द्वारा घोषणा करे कि निर्यात किया जा रहा बीज ब्रीडर या फाउंडेशन या जंगली किस्म का बीज नहीं है।

पुनर्निर्यात

- पौधों और पौधों के हिस्सों की आयाति प्रजातियों से बने गुण संपन्न मिश्रणों के मुक्त निर्यात की अनुमति है। इसके निर्यात के समय सीमा शुल्क अधिकारी के सामने एक शपथपत्र पेश करना होगा कि निर्यात किए जा रहे गुण संपन्न मिश्रण के निर्यात के लिए केवल आयातित पौधों की प्रजाति का इस्तेमाल किया गया है।

आयात

- *पोडोफिल्लम हैक्सॉड्रम* प्रजाति के बीजों का आयात बुवाई और उगाने उदेश्यों से स्वीकृत है। इसके लिए पौधे,फल और बीज (भारत में आयात का नियंत्रण) आदेश, 1989 के तहत आयात का परमिट लेना होगा।
- उपभोग या किसी दूसरे मकसद के लिए बीजों का आयात करने के लिए लाइसेंस या इस संबंध में किसी सार्वजनिक नोटिस के तहत।
- बुवाई के लिए बीजों का आयात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, दूसरे विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के वानस्पतिक व बागवानी विभाग बिना किसी लाइसेंस के कर सकते हैं। ऐसा आयात समय-समय पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से जारी की गई शर्तों के अधीन होगा।

9. PTEROCARPUS SANTALINUS

Family	Leguminosae (Fabaceae)
Botanical Name	*Pterocarpus santalinus* Linn. f.
Common Name	Red sanders, Red sandalwood, Ruby wood, Sanders wood

Vernacular Name

Hindi - *Lal Chandan, Rakta Chandan*

Bengali and Sanskrit - *Rakta Chandan*

Malayalam - *Raktashandanam, Patragam*

Marathi - *Tambada Chandana*

Gujarati - *Ratanjali*

Kannad - *Agaru, Honne, Kempugandha Chekke, Rakta Chandana*

Tamil - *Atti, Sivappuchand Anam*

Oriya - *Rakta Chandan*

Trade Name	Lal Chandan, Rakta Chandan

Distribution

Cuddapah district of Andhra Pradesh and Karnataka and the neighbouring areas of Tamil Nadu.

Medicinal Use

It is externally applied on inflammation of the skin, headache, to reduce high temperature during fever and to strengthen eyesight. It is also employed in drug formulation considered useful in the diseases of the blood, dysentery and thirst.

Form in Which Traded

Hard Wood, Essential Oil and formulations

Description of Raw Drug

The wood is tough. It is sold as rectangular or cylindrical small pieces of about 18 cm in length and 3 to 5 cm in diameter. The surface of the wood is dark reddish in colour. It gives a polished look and has longitudinal stripes. The transversely cut portion shows prominent black veins. The wood is quite heavy and sinks in water. It is odourless but emits a faint agreeable smell on heating. It tastes bitter. The raw drug is also sold as saw dust and wood shavings.

International Trade Regulations

- Appendix II of CITES
- Included in the Negative List of Exports, vide Notification No. 24 (RE -98)/1997-2002), Ministry of Commerce, Government of India.

Pterocarpus santalinus

Form in which International Trade is Permitted

CITES

Only logs, wood chips and unprocessed broken materials of *P. santalinus* are included in CITES Appendix and excludes all other forms in which it traded.

Export and Import Policy (Government of India) Regulations

Export

- Formulations i.e. products which may contain portions/extracts of *P. santalinus* only in unrecognizable and physically inseparable form, are allowed to be exported.
- Value added products such as Extracts, Dyes (besides musical instruments), made from *P. santalinus*, procured from legal sources, is allowed to be exported against a export licence issued by the Director General of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of India.
- Export of seeds is permitted under licence.

Import

- Import of seeds of sowing and planting purpose is allowed, subject to a permit of import granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order 1989.
- Import of seeds for consumption or other purposes is permitted against licence or in accordance with Public Notices issued in this behalf.
- Import of seeds for sowing can be made by the Indian Council of Agricultural Research, Agricultural Universities, Botanical and Horticulture Departments of other Universities and State Governments, without a licence. Such import shall be subject to such conditions as may be specified by the Ministry of Agriculture, Government of India from time to time.

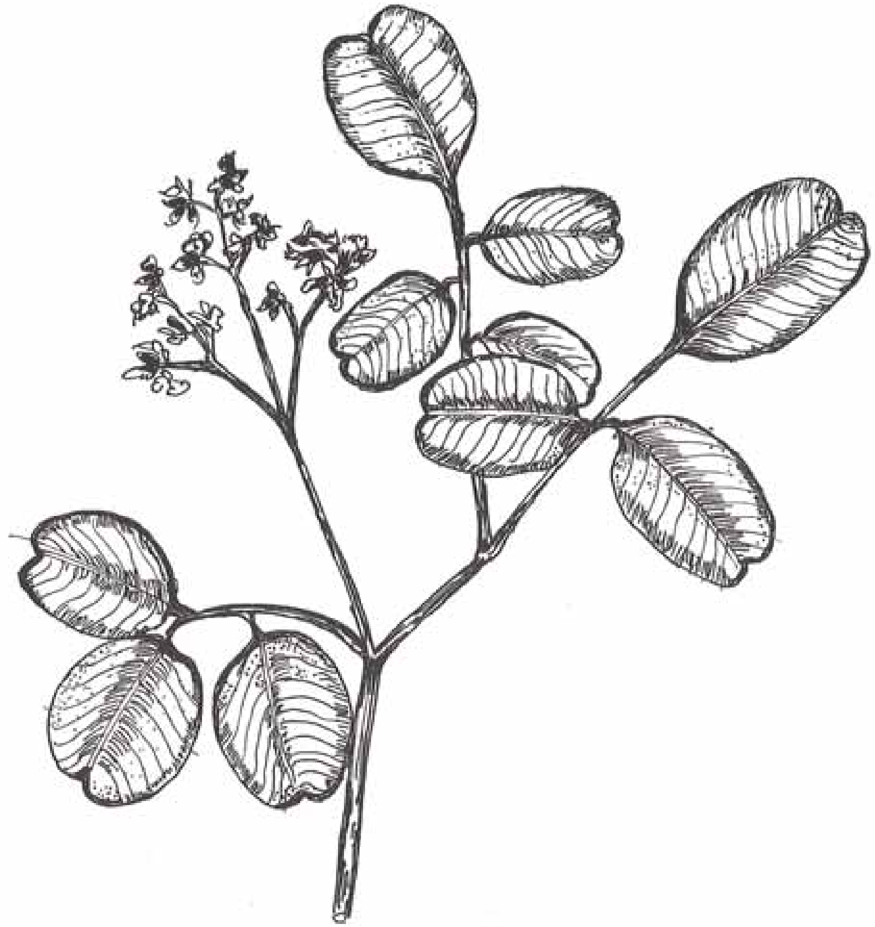

Pterocarpus santalinus
टैरोकार्पस सेंटालीनस

Pterocarpus santalinus
टैरोकार्पस सेंटालीनस

9. टैरोकार्पस सेंटालीनस

परिवार लेग्यूमिनोसी

वानस्पतिक नाम *टैरोकार्पस सैंटालिनस* लिन.एफ.

सामान्य नाम रक्त चंदन, रक्त चंदन की लकड़ी, रूबी लकड़ी, चदन की लकड़ी

प्रादेशिक नाम

हिंदी - *लाल चंदन, रक्त चंदन*

बांग्ला व संस्कृत - *रक्त चंदन*

मलयालम - *रक्तसंदनम्, पटरागम*

मराठी - *तामबाडा चंदन*

गुजराती - *रतनजलि*

तमिल - *अट्टी, शिवप्पूचंद अनम*

उड़िया - *रक्त चंदन*

व्यापारिक नाम लाल चंदन, रक्त चंदन

विस्तार

आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले व कर्नाटक और तमिलनाडु से सटे इलाकों में।

औषधीय इस्तेमाल

त्वचा की सूजन, सिरदर्द, बुखार को कम करने और नेत्र की शक्ति बढ़ाने में इसका बाह्य तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रक्त पेचिश और प्यास की बीमारियों की दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है।

व्यापार में इस्तेमाल

लकड़ी, आवश्यक तेल और मिश्रण

कच्ची दवा का स्वरूप

इसकी लकड़ी सख्त होती है और यह 18 सेंटीमीटर लंबे और 3 से 5 सेंटीमीटर घेराव वाले चौकोर या सिलंडरनुमा छोटे टुकड़ों में बेचा जाता है। इसकी लकड़ी का [illegible] गहरे लाल रंग का होता है। देखने में लगता है मानों पालिश की गई हो और इस पर लंबी-लंबी धारियां होती हैं। तिरछा काटने पर स्पष्ट नसें दिखती हैं। इसकी लकड़ी काफी भारी होती और पानी में डूब जाती है। ये गंधरहित होती है लेकिन जलने पर इसमें से हलकी खुशबू आती है। इसका स्वाद कड़वा होता है। कच्ची दवा को बुरादे और लकड़ी की छीलन के रूप में भी बेचा जाता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण

- साइटिस के परिशिष्ट II में

- भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पौधों के निर्यात की नकारात्मक सूची में शामिल, अधिसूचना नंबर 24 (आर ई 98)/1997 से 2002, के तहत।

टैरोकार्पस सेंटालीनस

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्वीकृत प्रकार

साइटिस

केवल लट्ठे, लकड़ी के टुकड़े और अप्रसंस्करित सूखा माल साइटिस के परिशिष्ट में शामिल किए गए हैं। बाकी सभी प्रकार इससे बाहर हैं।

निर्यात और आयात नीति (भारत सरकार) नियंत्रण

निर्यात

- मिश्रण, यानी ऐसे उत्पाद जिसमें *टैरोकार्पस सेंटालिनस* के हिस्से/रस केवल न पहचाने जाने योग्य और पृथक न किए जाने की शक्ल में निर्यात किए जा सकते हैं।
- वैध स्रोतों से प्राप्त किए गए गुण संपन्न उत्पाद जैसे, रस, रंग (संगीत वाद्यों के अलावा) का निर्यात भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के महानिदेशक (विदेश व्यापार) की ओर से जारी किए गए निर्यात लाइसेंस के तहत किया जा सकता है।
- बीजों का निर्यात लाइसेंस के तहत स्वीकृत है।

आयात

- *टैरोकार्पस सेंटालीनस* प्रजाति के बीजों का आयात बुवाई और उगाने उदेश्यों से स्वीकृत है। इसके लिए पौधे,फल और बीज (भारत में आयात का नियंत्रण) आदेश, 1989 के तहत आयात का परमिट लेना होगा।
- उपभोग या किसी दूसरे मकसद के लिए बीजों का आयात करने के लिए लाइसेंस या इस संबंध में किसी सार्वजनिक नोटिस के तहत।
- बुवाई के लिए बीजों का आयात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, दूसरे विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के वानस्पतिक व बागवानी विभाग बिना किसी लाइसेंस के कर सकते हैं। ऐसा आयात समय-समय पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से जारी की गई शर्तों के अधीन होगा।

10. RAUVOLFIA SERPENTINA

Family	Apocynaceae
Botanical Name	*Rauvolfia serpentina* Benth. ex Kurz.
Synonymous Name	*Ophioxylon serpentinum* L.
Common Name	Serpentwood, Serpentina Root, Serpentina, Rauvolfia Root

Vernacular Name

Sanskrit - *Sarpgandha, Chundrika*
Urdu - *Asrel*
Hindi - *Chandra-Bhaga, Chota Chand*
Bengali- *Chandra*
Telegu - *Pataala Gani Paataala Garuda*
Tamil- *Chivan, Amelpodi, Sarpaganti*
Kanada - *Sarpagandhi, Shivanabhiballi, Sutranavi, Patalagandhi*
Malayalam - *Chuvannarvilpore, Suvapaval, Poriyaan*
Oriya - *Patal Garur, Sanochado*
Assamese - *Arachon Tita*
Khasi - *Todong-Pait, Parao*

Trade Name Sarpgandha, Rauvolfia

Distribution

R. serpentina is widely distributed in the sub-Himalayan region from Jammu and Kashmir eastwards into Nepal, Sikkim and Bhutan. It is also found in Assam, in the lower hills of the Gangetic plains, eastern and western Ghats, in some parts of Central India and in the Andamans. It is also found in the Bangladesh, Myanmar, Jawa, Sri Lanka, Malaysia and Thailand.

Medicinal Use

Prescribed in high blood pressure, mental disorder, especially schizophrenia, sexual aggression and intestinal disorder.

Form in Which Traded

Generally root, formulations and sometimes leaves

Description of Raw Drug

The roots are hard, cylindrical in shape and have twisted appearance. It is usually 20 cm long and 1.8 cm in diameter, occurring as whole or transversely cut pieces of various sizes. The external surface is rough, longitudinally fissured and yellowish brown in colour. It bears occasional root scars. In older roots, the bark becomes thick, corky and brittle and constitutes a substantial part of the root. Transversely cut surface shows a thick bark enclosing a brownish tissue having prominent growth rings and soft rays. It is odourless but tastes very bitter.

International Trade Regulation

- Appendix II of CITES
- Included in the Negative List of Exports-Plants vide Notification No. 24 (RE -98)/1997-2002), Ministry of Commerce, Government of India.

Rauvolfia serpentina

Form in which International Trade is Permitted

CITES

The following are allowed to be export and import

(a) Seeds and Pollen;

(b) Seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers; and

c) Chemical derivatives

Export and Import Policy (Government of India) Regulation

Export

- Formulations i.e. products which may contain portions/extracts of *R. serpentina* but only in unrecognisable and physically inseparable form, are allowed to be exported.
- Plants and plant portion, derivatives and extracts obtained from cultivated sources are allowed to be exported subject to the production of Certificate of Cultivation from the Regional Deputy Director (Wildlife), or the Chief Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer of the State concerned from where these plants and plant portions have been procured. Besides, a CITES Permit for export will also be required.
- Export of seeds is permitted subject to a declaration in the form of an affidavit from the exporter that the seed being exported is not Breeder or Foundation or Wild variety seed.

Re-Export

- The value added formulations, made out of imported species of plants and plant portions are allowed to be exported freely without any restriction, subject to furnishing of an affidavit to the Customs authorities at the time of export that only the imported plant species have been used for the manufacture of value added formulations being exported.

Import

- Import of seeds of *R. serpentina* for sowing and planting purpose is allowed, subject to a permit of import granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order 1989.
- Import of seeds for consumption or other purposes is permitted against a licence or in accordance with Public Notices issued on this behalf.
- Import of seeds for sowing can be made by the Indian Council of Agricultural Research, Agricultural Universities, Botanical and Horticulture Departments of other Universities and State Governments, without a licence. Such import shall be subject to such conditions as may be specified by the Ministry of Agriculture, Government of India from time to time.

Rauvolfia serpentina

रॉवुल्फिया सरपेंटाइना

Rauvolfia serpentina
रॉवुल्फिया सरपेंटाइना

10. रॉवुल्फिया सरपेंटाइना

परिवार	एपोसाइनासी
वानस्पतिक नाम	*रॉवुल्फिया सरपेंटाइना* बेंथ. एक्स कुर्ज.
पर्यायवाची नाम	*आफियोडायलौन सरपेंटाइना* एल.
सामान्य नाम	सर्पेंटवुड, सर्पेंटाइना रूट, सरपेंटाइना, रॉवुल्फिया रूट

प्रादेशिक नाम

संस्कृत - *सर्पगंधा, चुंद्रिका*
उर्दू - *असरेल*
हिंदी - *चंद्रभागा, छोटा चांद*
बांग्ला - *चंद्रा*
तेलुगू - *पटालागनी, पपटालागरुण*
तमिल - *चिवन, अमेलपोडी, सर्पगंती*
कन्नड़ - *सर्पगंधे, शिवनाभिबल्ली, सुत्रानवी, पातालागंधी*
मलयालम - *चुवन्नावील पोरे, चुवापवल, पूरियान*
उड़िया - *पतलगरुण, सानोचाडो*
असमी - *असर्चोंदतीता* खासी - *तोदोंग-पेत, पराव*

व्यापारिक नाम सर्पगंधा, रॉवुल्फिया

विस्तार

रॉवुल्फिया सरपेंटाइना का विस्तार जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्व में नेपाल, सिक्किम और भूटान के उप हिमालयी क्षेत्रों में दूर-दूर तक है। यह असम, गंगा के मैदान की निचली पहाड़ियों, पूर्वी और पश्चिमी घाट, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और अंदमान में पाया जाता है। यह बांग्लादेश, म्यांनमार, जावा, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड में भी पाया जाता है।

औषधीय इस्तेमाल

यह उच्च रक्तचाप, मानसिक कमजोरी, खासतौर पर सीजोफर्निया, यौन–शक्ति और आंतों के रोगों के निदान के लिए।

व्यापार के प्रकार

आमतौर पर जड़ों और मिश्रण का और यदाकदा पत्तियों का।

कच्ची दवा का स्वरूप

इसकी जड़ें कड़ी, सिलंडरनुमा आकार की और मुड़ी-तुड़ी होती हैं। ये आमतौर पर 20 सेंटीमीटर लंबा और 1.8 सेंटीमीटर घेरा का होता है। यह विभिन्न आकारों में पूरा या तिरछे कटे हुए टुकड़ों में होता है। इसका बाहरी धरातर खुरदरा होता है और उसमें लंबी दरारें होती हैं और यह पीले भूरे रंग का होता है। इसकी जड़ों पर आमतौर पर दाग होते हैं। पुरानी जड़ों में छाल घनी, गठीली, भंगुर हो जाती है और जड़ का ज्यादातर हिस्सा इस तरह का ही हो जाता है। धरातल को तिरछा काटने से मोटी छाल दिखाई देती है। जिसमें बढ़े हुए छल्ले और हल्की रेखाओं वाले भूरे टिश्यू होते हैं। इसमें कोई गंध नहीं होती लेकिन स्वाद काफी कड़वा होता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण

- साइटिस के परिशिष्ट II में
- भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पौधों के निर्यात की नकारात्मक सूची में शामिल, अधिसूचना नंबर 24 (आर ई 98)/1997 से 2002, के तहत।

रॉवुल्फिया सरपेंटाइना

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्वीकृति प्रकार

साइटिस

निम्न का निर्यात और आयात स्वीकृत है

(क) बीज और परागकण,

(ख) अनुसंधानशाला से प्राप्त किए गए ठोस या तरल शक्ल में पौधे या टिश्यू कल्चर जिन्हें जीवाणुहीन बक्सों में एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया हो, और

(ग) रसायनिक उत्पाद।

निर्यात और आयात नीति (भारत सरकार) नियंत्रण

निर्यात

- मिश्रण यानी ऐसे उत्पाद जिसमें *रॉवुल्फिया सरपेंटाइना* के हिस्से/रस केवल न पहचाने जाने योग्य और पृथक न किए जाने की शक्ल में निर्यात किए जा सकते हैं।
- उगाई गई किस्मों के पौधों और पौधों के हिस्सों का निर्यात अधिकृत क्षेत्रीय उपनिदेशक (वन्यजीव) या मुख्य वन संरक्षक या संबंधित राज्य के संभागीय वन अधिकारी की ओर से जारी खेती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत है। निर्यात के लिए साइटिस परमिट की आवश्यकता है।
- बीजों का निर्यात तभी स्वीकृत है जबकि निर्यातक एक शपथपत्र द्वारा घोषणा करे कि निर्यात किया जा रहा बीज ब्रीडर या फाउंडेशन या जंगली किस्म का बीज नहीं है।

पुनर्निर्यात

- पौधों और पौधों के हिस्सों की आयाति प्रजातियों से बने गुण संपन्न मिश्रणों के मुक्त निर्यात की अनुमति है। इसके निर्यात के लिए सीमा शुल्क अधिकारी के सामने इस आशय का एक शपथपत्र पेश करना होगा कि निर्यात किए जा रहे गुण संपन्न मिश्रण के निर्यात के लिए केवल आयातित पौधों की प्रजाति का इस्तेमाल किया गया है।

आयात

- *रॉवुल्फिया सरपेंटाइना* प्रजाति के बीजों का आयात बुवाई और उगाने के उदेश्यों से स्वीकृत है। इसके लिए पौधे,फल और बीज (भारत में आयात का नियंत्रण) आदेश, 1989 के तहत आयात का परमिट लेना होगा।
- उपभोग या किसी दूसरे मकसद के लिए बीजों का आयात करने के लिए लाइसेंस या इस संबंध में किसी सार्वजनिक नोटिस के तहत।
- बुवाई के लिए बीजों का आयात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, दूसरे विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के वानस्पतिक व बागवानी विभाग बिना किसी लाइसेंस के कर सकते हैं। ऐसा आयात समय-समय पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से जारी की गई शर्तों के अधीन होगा।

11. SAUSSUREA COSTUS

Family Asteraceae

Botanical Name *Saussurea costus* (Falc.) Lipschitz

Synonymous Name *S.lappa* (Decne). C.B. Clarke

Common Name Kuth, Costus

Vernacular Name

Sanskrit - *Kustha*

Hindi and Bengali - *Kut, Kur, Pachak*

Gujarati - *Upaleta, Kur*

Marathi - *Kushta*

Telegu – *Changala Kustam*

Tamil - *Kostam, Putchuk, Goshtam*

Malayalam -*Sepuddy*

Kannad - *Koshta*

Kashmiri - *Kuth, chob-i.Qut, Post -Khai.*

Trade Name Kuth

Distribution

The species is found in Kashmir at altitude of 2,500-3,000 m and is also cultivated in Kashmir and the neighbouring Himalayan region including Lahul-Spiti in Himachal Pradesh and along the Indo-Tibetan border.

Medicinal Use

The root is useful in chronic and foul ulcers, headache, toothache, cough, asthma, bronchitis, indigestion, nervous disorder, spasmodic pain (colic), cholera, leprosy, lecoderma, ringworms, diarrhoea, dysentery, fever, rheumatism, heart diseases, painful menstruation, hysteria, cardiopathy, gout and general debility.

Form in Which Traded

Root, essential oil and formulations

Description of Raw Drug

The roots are hard and slightly twisted of up to 15 cm long and 1.5 to 4 cm broad at the thickest part. In the market, occur either as whole root or transversely cut pieces. The outer surface is rough and dull brown or light grey in colour with longitudinal wrinkles and small tuber. A transversely cut portion of the root shows a brownish white surface with three distinct regions viz, a thin ring forming the outer covering, followed by the woody portion with fine radial stripes and the central pith region, which is sometimes hollow in some older roots. The roots are also characterised by short and horny fractures. The roots have a strong odour. The taste is bitter and aromatic.

National and International Trade Regulation

- Included in Schedule VI of the Wildlife (Protection) Act, 1972
- Appendix I of CITES
- Included in the Negative List of Exports-Plants vide Notification No. 24 (RE -98)/1997-2002), Ministry of Commerce, Government of India.

Saussurea costus

Form in Which International Trade is Permitted

Export and Import Policy (Government of India) Regulation

Export

- Formulations i.e. products which may contain portions/extracts of *S. costus*, but only in unrecognisable and physically inseparable form, are allowed to be exported.
- Plants and plant portion, derivatives and extracts obtained from cultivated sources are allowed to be exported subject to the production of Certificate of Cultivation from the Regional Deputy Director (Wildlife), or the Chief Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer of the State concerned from where these plants and plant portions have been procured. Besides, a CITES Permit for export will also be required.

Re - Export

- The value added formulations, made out of imported species of plants and plant portions are allowed to be exported freely without any restriction, subject to furnishing of an affidavit to the Customs authorities at the time of export that only the imported plant species as above have been used for the manufacture of value added formulations being exported.

Saussurea costus

सॉसुरिया कॉस्ट्स

Saussurea costus
सॉसुरिया कॉस्ट्स

11. सॉसुरिया कॉस्ट्स

परिवार	ऐस्ट्रेसी
वानस्पतिक नाम	*सॉसुरिया कॉस्ट्स* (फाल्क) लिप्सचिट्स
पर्यायवाची नाम	एस. *लैप्पा* (डैकनी.) सी. बी. क्लार्क
सामान्य नाम	कुठ, कास्टस

प्रादेशिक नाम

संस्कृत - *कुश्ता*
हिंदी और बांग्ला - *कुट, कुर, पाचक*
गुजराती - *उपलेटा, कुर* मराठी - *कुश्टा*
तेलुगू - *चंगला कुश्टम*
तमिल - *कोश्टम, पुट्‌टचुक, गोष्टम*
मलयालम - *सेपुड्डी* कन्नड़ - *कोष्ठा*
कश्मीरी - *कुठ, चौबी-ए-कुट पोस्तखाई*

व्यापारिक नाम कुठ

विस्तार

यह प्रजाति कश्मीर में 2,500 से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसकी खेती कश्मीर और पड़ोस के हिमालयी क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश में लाहौल-स्पीति और भारत-तिब्बत सीमा पर की जाती है।

औषधीय इस्तेमाल

इसकी जड़े पुराने अल्सर, सिरदर्द, दांत दर्द, सांस की बीमारी, अपच स्नायु के विकार, उदरशूल, हैजा कुष्ट रोग, श्वेत प्रदर, कृमि, डायरिया, ज्वर, गठिया, हृदय रोग, पीड़ादायक माहवारी, हिस्टीरिया, कार्डियोपैथी, गाउट और आम कमजोरियों में कारगर है।

व्यापार में इस्तेमाल

जड़ें, तेल और मिश्रण

कच्ची दवा का स्वरूप

इसकी जड़े सख्त और मुड़ी हुई होती हैं जो 15 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। यह पूरी जड़ की शक्ल में या तिरछी कटी हुई टुकड़ों में बाजार में उपलब्ध हैं। इसका बाहरी धरातल खुरदुरा और दबे हुए हल्के भूरे रंग का होता है। इस पर लंबी झुर्रियां और छोटे कंद होते हैं। जड़ का तिरछा कटा हुआ हिस्से का धरातल भूरा-सफेद होता है और उसके तीन स्पष्ट भाग होते हैं। बाहरी भाग में पतला छल्ला होता है, उसके बाद गोल धारियों का लकड़ी वाला हिस्सा और फिर केंद्रीय भाग होता। जो कई बार पुरानी जड़ों में खोखला होता है। जड़ों में कई बार छोटे और सींगदार कटाव होते हैं। इन जड़ों की गंध तेज होती है और स्वाद कड़वा।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण

- वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में शैड्यूल VI में शामिल
- साइटिस के परिशिष्ट I में शामिल
- भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पौधों के निर्यात की नकारात्मक सूची में शामिल, अधिसूचना नंबर 24 (आर ई 98)/1997 से 2002, के तहत।

सॉसुरिया कॉस्ट्स

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्वीकृति प्रकार

निर्यात और आयात नीति (भारत सरकार) नियंत्रण

निर्यात

- मिश्रण, यानी ऐसे उत्पाद जिसमें *सॉसुरिया कॉस्ट्स* के हिस्से/रस केवल न पहचाने जाने योग्य और पृथक न किए जाने की शक्ल में निर्यात किए जा सकते हैं।
- उगाई गई किस्मों के पौधों और पौधों के हिस्सों का निर्यात, अधिकृत क्षेत्रीय उपनिदेशक (वन्यजीव) या मुख्य वन संरक्षक या संबंधित राज्य के संभागीय वन अधिकारी की ओर से जारी खेती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत है। निर्यात के लिए साइटिस परमिट की आवश्यकता है।

पुनर्निर्यात

- पौधों और पौधों के हिस्सों की आयाति प्रजातियों से बने गुण संपन्न मिश्रणों के मुक्त निर्यात की अनुमति है। इसके निर्यात के समय सीमा शुल्क अधिकारी के सामने एक शपथपत्र पेश करना होगा कि निर्यात किए जा रहे गुण संपन्न मिश्रण के निर्यात के लिए केवल आयातित पौधों की प्रजाति का इस्तेमाल किया गया है।

12. TAXUS WALLICHIANA

Family Taxaceae

Botanical Name *Taxus wallichiana* Zucc.

Common Name Common Yew

Vernacular Name

Sanskrit - *Manduparni, Dhaatripatra, Shakodaraa*

Hindi - *Thuno, Birni, Zirnup Birni*

Bengali - *Burmie, Bhirmie, Lichujhau*

Kashmiri - *Birni, Poshil*

Kumaon -*Thaner, Thuner Gullu*

Khasi - *Kseh Blei, Dingableh*

Nepali - *Teheiraysulah, Tcheraygulab*

Trade Name Talispatra

Distribution

It is found in the Himalayas at altitude between 1,800 to 3,300 m. In the hills of Meghalaya and Manipur at 1,500 m altitude.

Medicinal Use

Used in the treatment of anorexia, rheumatism, cough, asthma, bronchitis. It also checks vomiting and diarrhoea. The leaves have anti-cancer properties and are used in the manufacturing of taxol and baccatin.

Description of Raw Drug

The leaves are sharp and pointed, 15 to 25 mm long and 1 to 2 mm broad with prominent mid rib and pointed apex. Upper surface is dark green and waxy while the lower part is pale green in colour. It tastes sour and has a turpentine like odour.

Form in Which Traded

Leaves, wood and bark

International Trade Regulation

- Appendix II of CITES
- Included in the Negative List of Exports-Plants vide Notification No. 24 (RE -98)/1997-2002), Ministry of Commerce, Government of India.

Taxus wallichiana

Form in which International Trade is Permitted

CITES

The following are allowed for export and import

(a) Seeds and Pollen;

(b) Seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers; and

(c) Finished pharmaceutical products

Export and Import Policy (Government of India) Regulation

Export

- Formulations i.e. products which may contain portions/extracts, but only in unrecognisable and physically inseparable form, are allowed to be exported.
- Plants and plant portion, derivatives and extracts obtained from cultivated sources are allowed to be exported subject to the production of Certificate of Cultivation from the Regional Deputy Director (Wildlife), or the Chief Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer of the State concerned from where these plants and plant portions have been procured. Besides, a CITES Permit for export will also be required.
- Export of seeds is permitted subject to a declaration in the form of an affidavit from the exporter that the seed being exported is not Breeder or Foundation or Wild variety seed

Re-Export

- The value added formulations, made out of imported species of plants and plant portions are allowed to be exported freely without any restriction, subject to furnishing of an affidavit to the Customs authorities at the time of export that only the imported plant species have been used for the manufacture of value added formulations being exported.

Import

- Import of seeds of *T. wallichiana* for sowing and planting purpose is allowed, subject to a permit of import granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order 1989.
- Import of seeds for consumption or other purposes is permitted against a licence or in accordance with a Public Notice in this behalf.
- Import of seeds for sowing can be made by the Indian Council of Agricultural Research, Agricultural Universities, Botanical and Horticulture Departments of other Universities and State Governments, without a licence. Such import shall be subject to such conditions as may be specified by the Ministry of Agriculture, Government of India from time to time.

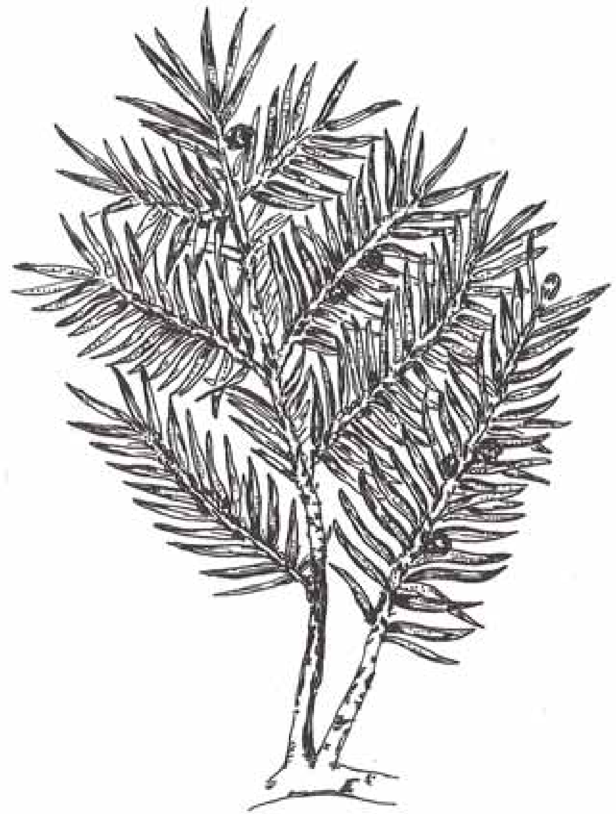

Taxus wallichiana

टैक्सस वालीचियाना

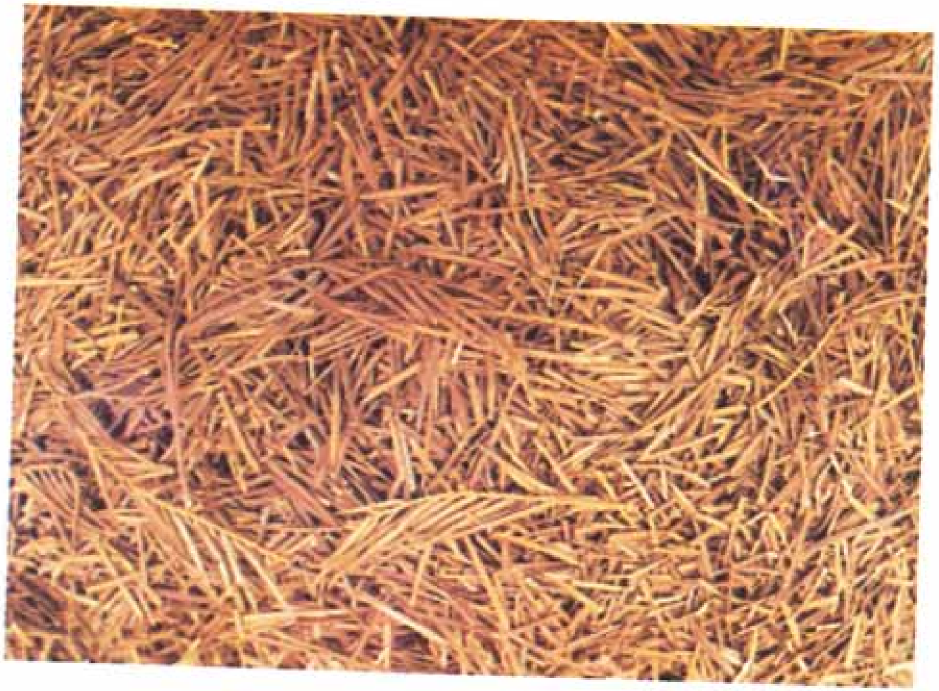

Taxus wallichiana
टैक्सस वालीचियाना

12. टैक्सस वालीचियाना

परिवार टैक्सासी

वानस्पतिक नाम *टैक्सस वालीचियाना* ज़ुक

सामान्य नाम सामान्य यू

प्रादेशिक नाम

संस्कृत - *मंदूपरणि, धात्रिपात्र, सकोदरा*
हिंदी - *थूनो,बिरनी, जिरनो बिरनी*
बांग्ला - *बुरमी, भिरमी, लिचूझाऊ*
कश्मीरी - *बिरनी, पोशिल*
कुमाऊं - *थानेर थूनेर गुल्लू*
खासी - *कसेब्लेई, डिंगाब्लेई*
नेपाली - *लेहेइराईसुला, चैरागुलाब*

व्यापारिक नाम तालिसपत्र

विस्तार

यह पौधा हिमालय में 1800 से 3300 से मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। मेघालय और मणिपुर की पहाड़ियों पर यह 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है।

औषधीय इस्तेमाल

भूख की कमी, गठिया, खांसी, दमा और सांस की तकलीफों के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह उल्टी और डायरिया को भी रोकता है। इसके पत्तों में कैंसर से लड़ने के गुण होते हैं और टैक्सोल और बकाटिन के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

कच्ची दवा का स्वरूप

इसके पत्ते धारदार और नुकीले होते हैं। इनकी लंबाई 15 से 25 मिलीमीटर और चौड़ाई 1 से 2 मिलीमीटर होती है। पत्तों के बीच में धारियां और ऊपरी सिरा नुकीला होता है। ऊपरी धरातल गहरा हरा और मोमिया होता है। जबकि निचला हिस्सा हल्का हरा होता है। इसका स्वाद खट्टा होता है और इसकी गंध तारपीन जैसी होती है।

व्यापार में इस्तेमाल

पत्ते, लकड़ी, छाल और मिश्रण

अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण

- साइटिस के परिशिष्ट II में
- भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पौधों के निर्यात की नकारात्मक सूची में शामिल, अधिसूचना नंबर 24 (आर ई 98)/1997 से 2002, के तहत।

टैक्सस वालीचियाना

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्वीकृति प्रकार

साइटिस

निम्न का निर्यात और आयात स्वीकृत है

(क) बीज और परागकण,

(ख) अनुसंधानशाला से प्राप्त किए गए ठोस या तरल शक्ल में पौधे या टिश्यू कल्चर जिन्हें जीवाणुहीन बक्सों में एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया हो और

(ग) तैयार औषधीय उत्पाद।

निर्यात और आयात नीति (भारत सरकार) नियंत्रण

निर्यात

- मिश्रण यानी ऐसे उत्पाद जिसमें *टैक्सस वालीचियाना* के हिस्से/रस केवल न पहचाने जाने योग्य और पृथक न किए जाने की शक्ल में निर्यात किए जा सकते हैं।
- उगाई गई किस्मों के पौधों और पौधों के हिस्सों का निर्यात अधिकृत क्षेत्रीय उपनिदेशक (वन्यजीव) या मुख्य वन संरक्षक या संबंधित राज्य के संभागीय वन अधिकारी की ओर से जारी खेती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत है। निर्यात के लिए साइटिस परमिट की आवश्यकता है।
- बीजों का निर्यात तभी स्वीकृत है जबकि निर्यातक एक शपथपत्र द्वारा घोषणा करे कि निर्यात किया जा रहा बीज ब्रीडर या फाउंडेशन या जंगली किस्म का बीज नहीं है।

पुनर्निर्यात

- पौधों और पौधों के हिस्सों की आयाति प्रजातियों से बने गुण संपन्न मिश्रणों के मुक्त निर्यात की अनुमति है। इसके निर्यात के समय सीमा शुल्क अधिकारी के सामने एक शपथपत्र पेश करना होगा कि निर्यात किए जा रहे गुण संपन्न मिश्रण के निर्यात के लिए केवल आयातित पौधों की प्रजाति का इस्तेमाल किया गया है।

आयात

- *टैक्सस वालीचियाना* प्रजाति के बीजों का आयात बुवाई और उगाने के उद्देश्यों से स्वीकृत है। इसके लिए पौधे, फल और बीज (भारत में आयात का नियंत्रण) आदेश, 1989 के तहत आयात का परमिट लेना होगा।
- उपभोग या किसी दूसरे मकसद के लिए बीजों का आयात करने के लिए लाइसेंस या इस संबंध में किसी सार्वजनिक नोटिस के तहत।
- बुवाई के लिए बीजों का आयात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, दूसरे विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के वानस्पतिक व बागवानी विभाग बिना किसी लाइसेंस के कर सकते हैं। ऐसा आयात समय-समय पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से जारी की गई शर्तों के अधीन होगा।

SAMPLE COPY OF CITES EXPORT PERMIT

SAMPLE COPY OF CITES EXEMPTION CERTIFICATE

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Environment & Forests

Tele-Fax: 8230666

REGIONAL DEPUTY DIRECTOR (W. R)
Wildlife Regional Office,
11, Air Cargo Complex,
Sahar, Mumbai-400 099

SAMPLE

No. L-13012/68/98/

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

EXEMPTION CERTIFICATE

Valid upto : September 30, 1998
Export through: J.N.P.T.

Being satisfied with the cultivation origin of the kuth (*Saussurea lappa*) used as an ingredient to prepare 90000 X 100 ml. Bottles (Extract of 1.80 kgs. Of kuth root used to prepare these bottles) of Doktor Mom Cough Syrup to be exported by M/s Unique Pharmaceutical Laboratories (A division of J. B. Chemicals and Pharmaceutical Ltd.), Neelam Centre, B-Wing, 4th Floor, H[illegible] Cycle Road, Worli, Mumbai-400 025 to M/s Trigram Pharmadent International, ST[illegible] C[illegible]bkaya 1/22, KYIV 252042, Ukraine (Vide Exporter's Invoice No. IN/980300 d[illegible]), in my capacity as CITES Assistant Management Authority in India [illegible] Certificate permitting export to Ukraine of the above item in terms of para 5 of [illegible] the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild F[illegible] (CITES).

COPY

Place : Mumbai
Dated : August 31, 1998

(Dr. S. Pandit)

(Signature and Stamp of the applicant for the permit)

Note :

i) Original should be surrendered to the Management Authority of the State of Import
ii) A stamped copy of Invoice is attached to the Original Certificate

(Signature and Stamp of the Authorities inspecting)

(a) On exportation

(b) On importation

Memo No. 525

[illegible]

IMPORTANT ADDRESSES

CITES Management Authorities

Inspector General of Forests
Ministry of Environment and Forests
Government of India
Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodi road
New Delhi-110 003
(Tel)- 011- 4361509

Additional Inspector General of Forests (Wildlife)
Ministry of Environment and Forests
Government of India
Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodi road
New Delhi-110 003
Tel.- 011- 4362285
Fax - 011-4363918

Assistant Management Authorities

Regional Deputy Director, Wildlife Preservation
Northern Region
Bikaner House Annexe
Shahjahan road
New Delhi -110 011
Tel./Fax - 011-3384556

Regional Deputy Director, Wildlife Preservation
Eastern Region
234/4, A.J.C.Bose road, 2nd MSO Building
Nizam Palace
Calcutta-700 020
Tel.- 033 - 2478698

Regional Deputy Director, Wildlife Preservation
Southern Region
C-2 /A, Rajaji Bhawan,
Besant Nagar
Chennai- 600 090
Tel. 044- 4916747

Regional Deputy Director, Wildlife Preservation
Western Region
11, Air Cargo complex, Sahar Airport
Mumbai - 400 099
Tel- 022- 8230666

Joint Director
Project Tiger
Bikaner House Annexe
Shahjahan road
New Delhi -110011
Tel. -011- 3389645

Sub-Regional Authorities

Assistant Director
Sub-Regional Wildlife Preservation Office
XIV/18 Chullickul
Cochin - 5682005
Tel.- 0484-222355

Assistant Director
Sub-Regional Wildlife Preservation Office
Tarun Nagar Main Road
Behind Nutan Press
Dispur,
Guwahati - 781005
Tel.- 0361-522709

Assistant Director
Sub-Regional Wildlife Preservation Office
C/o DFO,
P.O. Sultanwind,
G.T. Road,
Amritsar - 143021
Tel.- 0183-588383

CITES Scientific Authorities

Director
Zoological Survey of India
M-Block, near Alipur
Calcutta -700 053
Tel. - 033-4006893

Director
Botanical Survey of India
P-8 Brabourne road,
Calcutta-700 001
Tel. - 033 - 2429330
Fax - 033 - 2424922

Director
Central Marine Fisheries Research Institute
Post bag 1912, Cochin-682 018
Tel. - 0484 - 31989, 31867.

Director
Wildlife Institute of India
Chandrabani
P.O Box No.-18
Dehradun- 248 001
Tel. - 0135 - 640112, 13, 14, 15
Fax - 0135 - 640117

महत्वपूर्ण पते

साइटिस प्रबंध प्राधिकार

वन महानिरीक्षक
पर्यावरण व वन मंत्रालय
भारत सरकार
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली - 110 003
फोन- 011-4361509

अतिरिक्त वन महानिरीक्षक (वन्यजीव)
पर्यावरण व वन मंत्रालय
भारत सरकार
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली - 110 003
फोन - 011-4362285
फैक्स - 011-4363918

सह प्रबंध प्राधिकार

क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्यजीव संरक्षण
उत्तरी क्षेत्र
बीकानेर हाउस एनेक्सी
शाहजहां रोड
नई दिल्ली - 110 011
फोन/फैक्स - 011-3384556

क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्यजीव संरक्षण
पूर्वी क्षेत्र
234/4, ए.जे.सी. बोस रोड, दूसरी एमएसओ बिल्डिंग
निजाम पैलेस
कलकत्ता - 700 020
फोन - 033 - 2478698

क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्यजीव संरक्षण
दक्षिणी क्षेत्र
सी - 2/ए राजाजी भवन,
बीसंत नगर
चेन्नई - 600 090
फोन - 044 - 4916747

क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्यजीव संरक्षण
पश्चिमी क्षेत्र
11, एअर कार्गो काम्पलेक्स, सहार एअरपोर्ट
मुंबई - 400 099
फोन - 022 - 8230666

संयुक्त निदेशक
बाघ परियोजना
बीकानेर हाउस एनेक्सी
शाहजहां रोड
नई दिल्ली - 110 011
फोन - 011 - 3389645

उप क्षेत्रिय प्रबन्ध प्राधिकार

सह निदेशक
उप–क्षेत्रिय वन्यजीव संरक्षण कार्यालय
XIV/18 चुल्लिकुल
कोचिन - 5682005
फैक्स - 0484-222355

सह निदेशक
उप–क्षेत्रिय वन्यजीव संरक्षण कार्यालय
तरूण नगर मुख्य सड़क
नूतन प्रेस के पीछे
दिसपुर, गौहाटी - 781005
फैक्स - 0361-522709

सह निदेशक
उप–क्षेत्रिय वन्यजीव संरक्षण कार्यालय
द्वारा उप वन संरक्षक
पोस्ट – सुल्तान बिन्द
जी.टी. रोड
अम तसर - 143021
फोन - 0183-588383

साइटिस के वैज्ञानिक पाधिकार

निदेशक
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण
एम- ब्लाक, अलीपुर के समीप
कलकत्ता - 700 053
फोन - 033 - 4006893

निदेशक
भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण
पी - 8 ब्रेबोन रोड,
कलकत्ता - 700 001
फोन - 033 - 2429330
फैक्स - 033 - 2424922

निदेशक
केंद्रीय समुद्री मत्स्य शोध संस्थान
पोस्ट बैग 1912, कोचीन - 682018
फोन - 0484 - 31989, 31867

निदेशक
भारतीय वन्यजीव संस्थान
चंद्रबनी
पी.ओ. बाक्स नंबर-18
देहरादून - 248 001
फोन - 0135 - 640112, 13, 14, 15
फैक्स - 0135 - 640117

REFERENCES

1. Anonymous (1948-1996). Wealth of India, Vol. I to XII, Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), New Delhi, India.
2. Anonymous, 1992. Useful Plants of India, CSIR, PID New Delhi, India.
3. Anonymous, 1998. Annual Report, CITES, Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi, India.
4. Export and Import Policy, 1997 - 2002. Ministry of Commerce, Government of India, New Delhi, India.
5. Hussain, A 1992. Dictionary of Medicinal Plants, CIMAP, Lucknow, India.
6. Sarin, Y.K. 1996. Illustrated Manual of Herbal Drugs, CSIR, ICMR, New Delhi, India.
7. Anonymous, 1998. Medicinal Plants Significant Trade Study (CITES) - India Country Report, TRAFFIC - India, New Delhi, India.
8. Warrier, P.K. *et al*. (Eds.). 1996. Indian Medicinal Plants, Orient Longman, Hyderabad, India.

CITES Listed Medicinal Plants of India - An Overview

Species	Trade Name	Distribution in India	International Trade Regulation/Obligation
Aloe spp.	Sucontrine Aloe, Zanzibar Aloe, Cape Aloe	Drier parts of India	• Appendix II of CITES
Aquilaria malaccensis	Agar, Agaru	North - Eastern India specially in the States of Assam, Meghalaya, Nagaland Manipur and Tripura	• Appendix II of CITES • NLE-P*
Dicksoniaceae	Fern	States of Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya.	• Appendix II of CITES • NLE-P
Dioscorea deltoidea	Dioscorea, Hati Paun, Kham Alu	In the Himalayas from Jammu & Kashmir to Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya	• Appendix II of CITES • NLE-P
Euphorbia spp.	❖	❖	• Appendix II of CITES NLE-P
Nardostachys grandiflora	Jatamansi, Baalchar	Himalayan region from Jammu & Kashmir to Sikkim	• Appendix II of CITES • NLE-P
Picrorhiza kurrooa	Kutki, Karu	Himalayan region from Jammu & Kashmir to Sikkim	• Appendix II of CITES • NLE-P
Podophyllum hexandrum	Bankakri, Papra, Podophyllum	Himalayan region from Jammu & Kashmir to Sikkim	• Appendix II of CITES • NLE-P
Pterocarpus santalinus	Lal Chandan, Rakta Chandan	States of Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu	• Appendix II of CITES • NLE-P
Rauvolfia serpentina	Sarpagandha, Rauvolfia	Sub-Himalayan region, Eastern and Western Ghats, Central India	• Appendix II of CITES • NLE-P
Saussurea costus	Kuth	States of Jammu & Kashmir and Himachal Pradesh	• Appendix I of CITES • NLE-P
Texus wallichiana	Talispatra	Himalayan region and also the hills of Meghalaya and Manipur	• Appendix II of CITES • NLE-P

*NLE-P : Negative List of Exports - Plants

❖ Refer to main text